अंक 121

श्री हरीश चौधरी
माननीय मंत्री राजस्व और उपनिवेशन

श्री अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान

श्री भंवर सिंह भाटी
माननीय राज्य मंत्री राजस्व

रविरा

राजस्व प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों की त्रैमासिकी

विशेषांक

राजस्व दिवस

15 अक्टूबर, 2020

राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए

माननीय राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए

माननीय राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी व माननीय राजस्व एवं उपनिवेशन राज्य मंत्री श्री भंवरसिंह भाटी जमाबंदी की ई-साइन प्रति ऑनलाइन जारी करने और राजस्थान कृषि ऋण पोर्टल का अनावरण करते हुए।

सत्यमेव जयते

मुख्यमंत्री
राजस्थान

मुम./सन्देश/ओएसडीएफ/2020
जयपुर, 9 अक्टूबर, 2020

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि राजस्व दिवस–15 अक्टूबर के अवसर पर राजस्व विभाग राजस्थान की पत्रिका ''राविरा'' के विशेषांक का प्रकाशन किया जा रहा है।

प्रदेश के सामाजिक–आर्थिक विकास में राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। आमजन के राजस्व सम्बन्धी परिवादों के त्वरित निस्तारण एवं राजस्व अभिलेखों सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करने में राजस्व प्रशासन का योगदान सुविदित है।

राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन के प्रति संकल्पबद्ध है और जन कल्याण के लिए ठोस कदम उठाने में सदैव अग्रणी रही है। राजस्व सम्बन्धी न्यायिक प्रकरणों के शीघ्र निष्पादन एवं पारदर्शिता की दृष्टि से ई–गवर्नेन्स को बढ़ावा दिया गया है। समस्त तहसीलों को ऑनलाइन कर राजस्व सेवाओं के साथ सुगमतापूर्वक अभिलेखों को जन साधारण तक पहुंचाना राज्य सरकार का उद्देश्य रहा है।

आशा है कि राजस्व दिवस पर ''राविरा'' के विशेषांक में राजस्व प्रशासन की उपलब्धियों के साथ ही विभाग द्वारा किये जा रहे नवाचारों, राजस्व सेवाओं एवं अभिलेखों संबंधी सारगर्भित सामग्री का समावेश हो सकेगा।

मैं राजस्व दिवस पर बधाई देते हुए ''राविरा'' के विशेषांक के प्रकाशन की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

(अशोक गहलोत)

सत्यमेव जयते

हरीश चौधरी
मंत्री
राजस्व, उपनिवेशन
कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं
जल उपयोगिता विभाग राजस्थान सरकार

संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि **''राजस्व दिवस 15 अक्टूबर 2020''** के अवसर पर राजस्व विभाग द्वारा ''राविरा'' पत्रिका के विशेषांक का प्रकाशन किया जा रहा है। 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्थान में विधिवत रूप से लागू किया गया जिसका परिणाम यह रहा कि खेत जोतने वाले काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए एवं विभिन्न राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन राजस्व वादों का त्वरित निस्तारण संभव हो सका।

राजस्थान सरकार प्रत्येक क्षेत्र में आमजन के कल्याणार्थ लिए गए संकल्पों को पूर्ण करने की दिशा में समर्पित भाव से कार्य कर रही है। समाज के प्रत्येक तबके की समस्याओं का गंभीरतापूर्वक एवं पारदर्शिता के साथ निस्तारण करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है।

कोविड–19 की चुनौतियों के मध्य राज्य सरकार के स्तर पर जनसाधारण को राहत पहुंचाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा प्रभावी प्रयास किए गए, जिसके परिणामस्वरूप राज्य इस विभीषिका से उबरने की दिशा में आशानुरूप सफल साबित होगा। राजस्थान राज्य के विभिन्न सीमावर्ती जिलों में इस वर्ष अप्रत्याशित रूप से टिड्डी दलों द्वारा आक्रमण किए जाने पर राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कर आमजन को त्वरित राहत उपलब्ध कराई गई।

राजस्व विभाग द्वारा राजस्थान के समस्त 33 जिलों में DILRMP योजनान्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड के ऑनलाइन किए जाने के कार्यक्रम को द्रुत गति से पूर्ण करवाया जा रहा है। राज्य की 338 तहसीलों में से 244 तहसीलों को ऑनलाइन किया जा चुका है। साथ ही आधुनिक रिकॉर्ड रूम, नक्शों के डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन जमाबंदी, स्वतः नामांतरकरण आदि का कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर है। राजस्व विभाग द्वारा राजस्व कानूनों व नियमों के सरलीकरण का कार्य प्रगतिरत है, इसे शीघ्र ही पूर्ण करवाया जाएगा, जिससे राजस्व कानूनों से आमजन को आ रही समस्याओं का निवारण होगा।

मैं **''राजस्व दिवस''** के अवसर पर सभी को बधाई देते हुए **''राविरा''** के विशेषांक की सफलता हेतु हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

Chaudhary

(हरीश चौधरी)

भंवर सिंह भाटी
राज्य मंत्री

सत्यमेव जयते

उच्च शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार),
राजस्व, उपनिवेशन एवं कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास
एवं जल उपयोगिता विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

क्रमांक : रा.मं/उ.शि./2020/1586
जयपुर, दिनांक : 09.10.2020

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राजस्व दिवस के उपलक्ष्य में राजस्व मंडल ''राविरा'' का विशेषांक प्रकाशित करने जा रहा है।

राज्य के राजस्व विभाग की विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों एवं उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने में यह पुस्तक निश्चय ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं राजस्व दिवस के अवसर पर आप सभी को दायित्वों के श्रेष्ठ क्रियान्वयन एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को जन–जन तक पहुंचा कर राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए उत्तरोत्तर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

(भंवर सिंह भाटी)
राज्य मंत्री

अध्यक्ष की कलम से....

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में आमजन को सुशासन एवं त्वरित न्याय प्रदान करना एक आदर्श व्यवस्था है। जन अपेक्षाओं के अनुरूप त्वरित एवं पारदर्शी न्याय प्रणाली की दिशा में सरकार के स्तर पर कई प्रभावी कदम उठाए जाते रहे हैं । इनमें समय-समय पर आवश्यकता अनुसार नवाचारों का समावेश व आधुनिक तकनीकी तंत्र को विकसित किया जाना भी शामिल है।

राज्य में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम किसानों एवं भूमिधारकों की समस्याओं के निस्तारण के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम साबित होने जा रहा है। प्रसन्नता का विषय है कि राज्य की 338 तहसीलों में भू अभिलेख का कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है, वहीं 239 तहसीलें ऑनलाइन कर दी गई है। पूर्णरूपेण ऑनलाइन होकर कार्य कर रहे जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनूं व जैसलमेर जिले बधाई के पात्र हैं।

राजस्व मंडल प्रशासन ने कोविड-19 के विषम दौर में भी कोर्ट कार्य को जारी रखते हुए पक्षकारगण को राहत देने का कार्य किया। इसमें सहयोग के लिए राजस्व मंडल प्रशासन के साथ ही सदस्यगण एवं अभिभाषकगण की भूमिका सराहनीय रही। राजस्व मंडल की ओर से वर्चुअल कोर्ट, कोर्ट परिसर में डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम, जीसीएमएस के जरिए प्रकरणों की ऑनलाइन सूचना आदि कई महत्वपूर्ण कदम कोविड काल में सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से उठाए गए हैं।

मैं उम्मीद करता हूं कि इस विभीषिका के दौर में आप सभी पूर्ण सुरक्षित उपाय सुनिश्चित करते हुए अपने दायित्वों का भली-भांति निर्वहन करेंगे।

आप सभी को अपने बेहतर दायित्व निर्वहन के लिए शुभकामनाएं।

डॉ.आर. वेंकटेश्वरन
अध्यक्ष

आनन्द कुमार
आई.ए.एस.
Anand Kumar
I.A.S.

सत्यमेव जयते

प्रमुख शासन सचिव
राजस्व, उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण विभाग
1139, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर-302005
Principal Secretary to Government
Revenue Colonisation and Sainik Kalyan
Department, 1139, Main Building, Govt.
Secretariat, Jaipur-302005

संदेश

राजस्थान के इतिहास में 15 अक्टूबर का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सन् 1955 में इसी दिन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को राजस्थान में विधिवत रूप से लागू किया गया था। इस अधिनियम से काश्तकारों को खातेदारी के अधिकार का बड़ा सपना साकार हुआ।

माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व में लोक साधारण के कल्याणार्थ लिए गयें महत्वपूर्ण निर्णयों से विशेष तौर पर किसान व भूमिधारकों की समस्याओं का व्यावहारिक तौर पर निराकरण संभव हुआ है, वहीं कृषक वर्ग को आशानुरूप संबल भी मिला है। कृषक हितार्थ कार्यक्रमों के तहत राजस्व विभाग नवाचारी कदमों के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है, इससे आने वाले समय में राज्य में कई दूरगामी परिणाम प्राप्त होंगे।

राजस्व दिवस के मौके पर राजस्व मंडल की ओर से ''राविरा'' विशेषांक का प्रकाशन हर्ष का विषय है। मैं आशा करता हूँ कि इसकी सामग्री राजस्व संबंधी दायित्वों के निर्वहन में उपयोगी साबित होगी।

मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

(आनन्द कुमार)

सम्पादकीय

सुधि पाठकगण,

राविरा अंक 121 राजस्व विषयक विविध उपयोगी सामग्री के साथ आपको उपलब्ध कराया कराया जा रहा है। कोविड-19 की विभीषिका के कठिन दौर में हर क्षेत्र में कार्य निष्पादन एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया। सभी के समग्र एवं सराहनीय प्रयासों से राजस्थान राज्य ने इस चुनौती का डटकर सामना किया। राज्य के बहुआयामी एवं प्रभावी तंत्र के साथ ही आमजन को बेहतरीन सुरक्षा एवं संबल प्रदान करने की हरसंभव प्रयास किए गए। राजस्व मंडल में भी सुरक्षा उपायों के मद्देनजर कुल 700 से अधिक कोविड-19 की जांच करवाई गई, वहीं नियमित सैनिटाइजेशन और अदालतों को भी सुनवाई के दौरान सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

राजस्व मंडल प्रशासन ने राजस्व अदालतों को गति प्रदान करने की दिशा में कई ठोस कदम उठाये, जिससे न्यायिक कार्य के साथ ही अभिभाषक, अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग तथा पक्षकारों को समुचित सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध हो सका।

किसी भी कार्य का निर्वहन एवं उसकी सफलता में अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग की भूमिका पूर्ण है, राजस्व मंडल ने कर्मचारी हित का ध्यान रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के 577 पटवारियों को भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की। इसी प्रकार राजस्व मंडल के अधीन 19 कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायक, 44 वरिष्ठ सहायकों को सहायक प्रशासनिक अधिकारी, 4 सहायक प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्तप्रशासनिक अधिकारी तथा दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति का लाभ दिया गया।

राजस्व मंडल की ओर से सदस्यगण के माध्यम से रीडर्स का प्रशिक्षण आयोजित करवाया गया मंडल में न्यायालय संबंधित 65 हजार से अधिक पत्रावलियों का भौतिक सत्यापन कार्य 4000 अपूर्ण पत्रावलियों को पूर्ण करवाना, 8000 निर्णीत पत्रावलियों को रिकॉर्ड रूम में जमा कराने हेतु कंसाइनमेंट करवाना व 5000 से अधिक रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध पत्रावलियों की समय अवधि पूर्ण होने पर छंटनी आदि महत्वपूर्ण कार्य भी संपादित कराए गए।

राजस्व दिवस के उपलक्ष्य में लोक सेवाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन के संकल्प की अपील के साथ ही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

नम्रता वृष्णि
निबंधक

राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए – मुख्यमंत्री

जयपुर, 29 अगस्त। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए ताकि आमजन को सीमाज्ञान, नामन्तरण एवं राजस्व से जुड़े अन्य दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हो सकें। उन्होंने नामान्तरण की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस करने का काम जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए ताकि काश्तकार ई–मित्र एवं मोबाइल एप धरा के माध्यम से आवेदन कर ऑनलाइन नामान्तरण प्राप्त कर सकें।

श्री गहलोत मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पेपरलेस नामान्तरण के लिए नियमों में संशोधन करने एवं राजस्व संबंधी कानूनों के सरलीकरण की प्रक्रिया में भी तेजी लाने को कहा। साथ ही राजस्व वादों के निस्तारण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं इसकी पर्याप्त मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में राजस्व विभाग के अधीन आवंटन योग्य सरकारी भूमि का लैण्ड बैंक बनाने के निर्देश दिए ताकि राज्य स्तर पर आवंटन के लिए भूमि उपलब्ध हो सके। श्री गहलोत ने कृषि रहन पोर्टल का काम भी जल्दी पूरा करने को कहा ताकि कृषि ऋण प्राप्ति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सके। उल्लेखनीय है कि इस पोर्टल के माध्यम से किसान कृषि ऋण के लिए किसी भी बैंक में ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। उन्होंने कहा कि एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए किसानों को अपनी कृषि भूमि का रूपान्तरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। किसानों को इसके बारे में जागरूक कर उन्हें अपनी जमीन पर खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने पटवारी भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए ताकि राजस्व से संबंधित कार्य समय पर पूरे हो सकें।

श्री गहलोत ने डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत शेष बची तहसीलों को ऑनलाइन करने, ऑनलाइन हो चुकी 239 तहसीलों में गिरदावरी की ऑनलाइन प्रक्रिया तथा पटवारी एवं गिरदावरों की ट्रेनिंग के बारे में भी जानकारी ली।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव राजस्व श्री आनन्द कुमार ने बताया कि स्वचालित नामान्तरण हेतु पायलट प्रोजेक्ट के तहत चौमूं एवं दूदू तहसील में 1780 स्वचालित नामान्तरण दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, राजस्व वादों के निस्तारण की स्थिति एवं राजस्व कानूनों के सरलीकरण की दिशा में किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी। बैठक में राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री श्री हरीश चौधरी, राजस्व राज्यमंत्री श्री भंवर सिंह भाटी, भू–प्रबन्ध आयुक्त श्री विश्व मोहन शर्मा एवं रजिस्ट्रार राजस्व मण्डल श्रीमती नम्रता वृष्णि सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राजस्व मण्डल राजस्थान

राजस्व मंडल अध्यक्ष डॉ. आर. वेंकटेश्वरन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं अन्य
पदाधिकारियों से कोविड काल में राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में चर्चा करते हुए।

राजस्व मण्डल अध्यक्ष डॉ. आर. वेंकटेश्वरन का अभिनन्दन करते सदस्य
श्रीमती विनीता श्रीवास्तव एवं श्री सुरेन्द्र पुरोहित (बाएं) तथा राजस्व बार अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र शर्मा (दाएं)

राजस्व मण्डल राजस्थान की त्रैमासिकी

अंक -121 रजि. क्रमांक 18119/70

राजस्व दिवस विशेषांक

संरक्षक
डॉ. आर. वेंकटेश्वरन
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

परामर्शदाता
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य
श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य
श्री रवि डांगी, सदस्य
श्री भंवरलाल मेहरड़ा, सदस्य
श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य
डॉ. श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य

वरिष्ठ सम्पादक
श्रीमती नम्रता वृष्णि
निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

विशेष मार्गदर्शन
श्री आशुतोष गुप्ता
अतिरिक्त निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

सम्पादक एवं प्रभारी अधिकारी
पवन कुमार शर्मा
जनसम्पर्क अधिकारी,
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

सहयोग
1. गफूर अली, व. सहायक
2. फैयाज मोहम्मद, क. सहायक
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

मुद्रक
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर

अनुक्रमणिका

महत्वपूर्ण आलेख एवं विविध सामग्री

1. राजस्व दिवस पर विशेष ''राजस्व विधियां तब और अब'' 01
2. राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम धारा -136 (पपिया को भी मिला राजस्थान की विभिन्न योजनाओं का लाभ) 05
2A किसानों के लिए खुशी की लहर, रास्तों के समाधान से खेती की राह हुई आसान 06
3. राजस्थान में विभागीय पदोन्नति समिति 08
4. GENERALISED COURT MANAGEMENT SYSTEM (GCMS) 14
5. कलक्टर : भूमि प्रबन्धक के रूप में 17
6. भूमि विनिमय के प्रावधान 22
7. आधुनिक अभिलेखागार में कैसी हो अभिलेख संधारण व्यवस्था 24
8. राजस्थान का काम - कमा रहा है नाम (कविता) 27

स्थायी स्तम्भ

9. राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय 28
10. राजस्व अधिकारियों के वाद निस्तारण : मण्डल की वार्षिक समीक्षा 48
11. राजस्व नियम, अधिसूचना, परिपत्र एवं संशोधनादि 57
12. राजस्व समाचार 78

सूचना : राविरा में प्रकाशित लेख, रचनाएं लेखकों के व्यक्तिगत विचार हैं, उनसे राजस्व मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

राजस्व दिवस पर विशेष

15 अक्टूबर 2020 को प्रदेश में पहली बार राजस्व दिवस का आयोजन किया जा रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में राजस्व विधियों पर एक नजर...

"राजस्व विधियां तब और अब"

शंकर लाल बलाई
तहसीलदार, राजस्व मण्डल, अजमेर

वैदिक काल में कार्यों की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन एवं खेती था। आज से तकरीबन सात हजार वर्ष पहले तथा वैदिक सभ्यता के लोग खेती में पारंगत थे। बैलों का प्रयोग खेती में होता रहा, ऐसा वैदिक ऋचाओं में उल्लेख है। एक अलग ही किस्म का समाजवाद का जिसमें खेती अर्थात भूमि से लेकर पशुओं तक सभी के समान अधिकार थे। भूमि पर किसी भी किस्म के व्यक्तिगत स्वामित्व का प्रचलन नहीं था।

वैदिक शब्दावली में भूमि एक समूह या कबीले की परिसम्पत्ति थी। शासकीय आय का प्रमुख स्रोत भूमि–कर हुआ करता था। उस समकालीन व्यवस्था में पैदा की गई वस्तुओं की आमदनी से प्राप्त शासकीय अंश को रज्जोभाग कहा जाता था, इसी रज्जोभाग का नाम अब राजस्व हो गया है।

मनु स्मृति से लेकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन बिन्दुओं की विस्तृत व्याख्या देखी जा सकती है। वेदों में भी इस आशय का कई जगह उल्लेख है। वेदों में भूमि के नाप की कई प्रणालियों का उल्लेख है, लेकिन इन ग्रन्थों में विक्रय हस्तान्तरण जैसी किसी प्रक्रिया का जिक्र नहीं मिलता है।

चारों वेदों के अलावा अन्य प्राचीन ग्रन्थों में राजस्व प्रशासन का उल्लेख मिलता है। रामायण, महाभारत, बौद्ध ग्रन्थ दीर्घ निकाय में, कौटिल्य (चाणक्य) के अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति के साथ ही विस्तार से राजस्व प्रशासन का उल्लेख है। इसी प्रकार अन्य समकालीन ग्रन्थों में विधिवत रूप से राजस्व प्रशासन की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला गया है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि बड़े या छोटे जनपदों से अन्न का तृतीय या चतुर्थांश राज्य कर के रूप में लिया जाना चाहिये। मौर्यकाल की भू–राजस्व व्यवस्था की जानकारी इस ग्रन्थ के अलावा मैगस्थनीज की इण्डिका और अशोक के शिलालेखों से भी होती है। उस समय की अधिकांश आय भूमिकर से प्राप्त होती थी।

गुप्तकाल में भूमि का नियमित माप होता था तथा खेतों के स्वामी व खेतों की सीमा का विवरण रखा जाता था। भूमि को उपजाउपन के आधार पर बांटा गया था, और इसी

आधार पर भूमिकर चौथे से छठे हिस्से तक निर्धारित था। वह समय 320 ईस्वी के बाद से शुरू होता है।

सन् 606 से 646 के बीच हर्षवर्धन साम्राज्य का उदय हुआ जो भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। उत्तरी भारत का शासन काल स्वर्णयुग तो था ही, यह काल मध्यकालीन युग के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी रही है।

सन् 1573 में सम्राट अकबर ने गुजरात को जीतकर टोडरमल को वहॉ भेजकर जमीन की नाप–जोख कराई तथा जमीन की किस्म और उससे रकबे तथा पैदावार के हिसाब से मालगुजारी सुनिश्चित की। टोडरमल ने सम्पूर्ण साम्राज्य को 182 परगनों में इस तरह बांटा कि प्रत्येक परगने में एक करोड़ का लगान मिले। प्रत्येक परगना एक अधिकारी के अधीन किया गया। जो करोड़ी कहलाता था। टोडरमल द्वारा प्रचलित राजस्व प्रणाली सन् 1585 से शुरू हुई, जिसमें भूमि का वर्गीकरण कृषि उत्पादन के आधार पर किया गया। उस समय पिछले दस सालों का औसत देखकर राजस्व निर्धारण कर दिया जाता था।

मुगलकाल में भूमि के नाप की इकाई बीघा थी। भूमि को उपजाऊ, छाछर, बंजर और नई कृषि भूमि के रूप में बांटा गया था। अकबर के समय से पूर्व दो बांसों के बीच रस्सी बांधकर भूमि नापी जाती थी। अकबर के समय टोडरमल ने इसमें लोहे के हुक फंसाकर भूमि की नपाई शुरू कर दी। इससे रस्सी के सिकुड़ने और बढ़ने की समस्या समाप्त हो गई। अकबर के समय नाप का आधार अकबरी गज (32 इंच) था। जहांगीर और शाहजहां के समय तक टोडरमल की राजस्व प्रणाली चलती रही लेकिन औरंगजेब ने इजारेदारी प्रथा शुरू कर दी।

जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो राजस्थान के क्षेत्र में अनेक देशी रियासतें थी, जिनको ''राजस्थान राज्य'' में 30 मार्च 1949 को सम्मिलित कर एक संघ की स्थापना की गई। जागीरदारों, भू–स्वामियों और बिस्वेदारों के शोषण और अत्याचार से उस समय कृषक की दशा दयनीय थी। जिस भूमि पर किसान खेती करता था, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं था। वह तो केवल हलबाहा किसान था जो इन भू–स्वामियों की स्वैच्छा के अधीन था पर किसान जाग उठा था और उसकी मांग थी – ''किसान की भूमि किसान को''। इस विद्रोहात्मक स्थिति ने राज्य सरकार को तुरन्त ऐसे कदम उठाने के लिये बाध्य कर दिया, ताकि परिस्थितियों पर काबू पाया जा सके। राज्य की विभिन्न रियासतों में अनेक कानून लागू थे। उनका समेकन करने और उनमें संशोधन करने की आवश्यकता गंभीर रूप लिये थी। अतः राजस्थान संघ के गठन के डेढ़ माह के भीतर ही एक समिति का गठन किया गया जिसे राजस्व विधियों का एकीकरण करने कार्य सौंपा गया। परन्तु किसान समाज की ओर से दबाव इतना अधिक था कि सरकार को किसानों को संरक्षण देने के लिये तुरन्त कदम उठाना पड़ा। इस प्रकार ''राजस्थान कृषक संरक्षण अध्यादेश –1949'' जारी किया गया, जो उस समय की ज्वलन्त आवश्यकता और मांग थी।

इस समिति ने बिना आराम लिये लगातार कार्य किये और सभी रियासतों के राजस्व कानून का संकलन कर अपनी रिपोर्ट जुलाई 1949 के अंत में प्रस्तुत कर दी जिसके साथ काश्तकारी (अभिधृति/टिनेन्सी) और भू–राजस्व के लिये दो विधेयक के प्रारूप भी संलग्न थे। अनेक कठिनाइयों तथा जनमत के कारण ये विधेयक 1955 तथा 1956 के पहले पारित नहीं किये जा सके। इसी बीच इस समस्या का समाधान करने के लिये राज्य सरकार ने कुछ अन्य विधिक कदम भी उठाये और अल्पावधि कानून बनाये गये, यथा :–

1. वृक्षों को हटाना (विनियमन) अध्यादेश, 1949
2. राजस्थान कृषक संरक्षण अध्यादेश अधिनियम, 1952
3. राजस्थान कृषक संरक्षण अधिनियम, 1954
4. राजस्व न्यायालय (प्रक्रिया एवं अधिकारिता) अधिनियम, 1951
5. उपज लगान विनियमन अधिनियम, 1954
6. कृषि लगान नियंत्रण अधिनियम, 1954

इसके पश्चात् अभिधृति का दूसरा प्रारूप विधेयक तैयार किया गया, जिसे राजस्थान विधान सभा में 08 सितम्बर 1953 को प्रस्तुत किया गया, जो विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया और उस पर राष्ट्रपति महोदय ने 14 मार्च 1955 को अनुमति प्रदान कर दी और वह राजस्थान अभिधृति/काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्या – 3) के रूप में लागू किया गया। यह अधिनियम राजस्थान में 15 अक्टूबर 1955 को लागू हुआ । राज्य सरकार ने एक अधिसूचना प्रसारित कर इस अधिनियम को 15 अक्टूबर 1955 अर्थात् विक्रम संवत 2012 से प्रवृत्त किया है। अधिसूचना संख्या एफ.1 (37) रेवेन्यू /ख/55 दिनांक 14 अक्टूबर 1955, राजस्थान राजपत्र, भाग 4ग, दिनांक 15.10.1955 को प्रकाशित हुई है। इसलिए 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस का आयोजन किया जा रहा हैं। इस अधिनियम को 15 जून 1958 से आबू, अजमेर और सुनेल क्षेत्र के लिये लागू किया गया है, और इसी दिनांक से यह अधिनियम इन क्षेत्रों में भी प्रवृत्त हो गया है, परंतु इससे पहले नहीं। यद्यपि यह अधिनियम राजस्थान राज्य के अन्य भागों में प्रवृत्त था। इस अभिवृत्ति अधिनियम के उपबंध जो कृषक द्वारा भूधारक को लगान देने से संबंधित हैं, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पहले देय हुए लगान के बारे में लागू नहीं होते। इस अधिनियम के तहत काश्तकारों को निम्न प्राथमिक अधिकार प्रदान किये गये –

धारा	अधिकार
31	आवास गृह का अधिकार,
32	लिखित पट्टे और उसे प्रतिलेख का अधिकार,
33	रजिस्ट्रीकरण के बजाय पट्टों का अनुप्रमाणन,
34	प्रीमियम लेने या बलात् श्रम कराने का प्रतिषेध,
35	लगान से भिन्न किसी संदाय का प्रतिषेध,

36 सामग्रियों का उपयोग,

36क नालवट के अधिकार का अर्जन,

37 न्यायालय की आदेशिका द्वारा अभिग्रहण, कुर्की और विक्रय का वर्जन।

उपरोक्त प्राथमिक अधिकारों के अलावा राजस्व नियमों में काश्तकारों को निम्न अधिकार प्रदान किये गये :–

1. नामान्तरण खुलवाने का अधिकार,
2. खेतों का सीमाज्ञान करने का अधिकार,
3. रास्तों के विवाद निपटारे का अधिकार,
4. जोत विभाजन कराने का अधिकार,
5. कुआं खुदवाने एवं पम्पिंग सेट लगाने का अधिकार,
6. अशुद्धियों को सुधरवाने का अधिकार,
7. प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार,
8. खाते में लिपिकीय भूल शुद्धि करने का अधिकार,
9. खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार,
10. कमाण्ड क्षेत्र में खातेदारी प्राप्त करने का अधिकार,
11. अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार,
12. कृषि भूमि से पेड़ हटाने का अधिकार,
13. राजस्व रिकॉर्ड को मुफ्त में देखने एवं नकल प्राप्त करने का अधिकार,
14. पासबुक प्राप्त करने का अधिकार,
15. दस्तावेज पंजीयन संबंधी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार,
16. कृषि भूमि विनिमय करने का अधिकार,
17. मौका निरीक्षण करने का अधिकार,
18. अनुसूचित जाति / जनजाति की भूमि पर अवैध कब्जे से बेदखली,
19. भूमि रूपान्तरण करवाने का अधिकार।

इस प्रकार काश्तकारों को कई अधिकार प्रदान कर समस्त भूमियों को लगान से मुक्त किया गया है, जिससे आम काश्तकार बिना लगान भूमि का उपयोग स्वतंत्र होकर कर रहा है।

राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम धारा-136 "पपिया को भी मिला राजस्थान की विभिन्न योजनाओं का लाभ"

रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
मावली, जिला उदयपुर

"सुबह–सुबह किसी जरूरी कार्य होने के कारण मुझे किसी ग्राम पंचायत में जाना पड़ा चूंकि मैं सुबह 10 बजे निकला, उसके बाद 1 बजे मैं वापस कार्यालय पहुंचा चूंकि दोपहर लंच का समय होने के कारण दोपहर के लंच के लिए जाने व वापस आकर एक जरूरी मीटिंग होने से वापस जिला मुख्यालय जाना पड़ा।"

जिला मुख्यालय से वापस आकर ज्योंही कार्यालय पहुंचा एक अधेड़ आदिवासी मेरे कार्यालय में अपनी समस्या लेकर पहुंचा।

उसने अपनी थैली से बहुत सारे कागज एक साथ टेबल पर रखे और स्थानीय भाषा में बोला "मेरा नाम राजकीय दस्तावेज में प्रभु है और जमाबन्दी में मेरा नाम पपिया है। अतः इसके कारण मुझे कृषि विभाग की योजना के तहत पाइपलाइन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।" चूंकि दस्तावेजों का अध्ययन करने पर पाया कि प्रभु के दस्तावेजों जिसमें आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता, अन्य सभी दस्तावेजों में प्रभु नाम था, जबकि जमाबन्दी में "पपिया" होने के कारण के.सी.सी. लोन, प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वह व्यक्ति पिछले 5 सालों से परेशान था। चूंकि उस गरीब आदिवासी किसान को कानून की समझ नहीं थी कि क्या करें ?

इसके बाद पपिया के दस्तावेजों को देखा गया जिसमें उसके सभी सह खातेदारों की सहमति पत्र व ग्राम पंचायत का एक प्रमाण पत्र जिसमें लिखा गया कि "पपिया व प्रभु दोनों एक ही व्यक्ति है" उपलब्ध थे। ऐसा लगता है कि पपिया ने पहले भी इसके लिए प्रयास किया लेकिन दस्तावेज बनाने के बाद भी उसका नाम परिवर्तन नही हो सका ओर उसको नाम खातेदारी भूमि एवं दस्तावेजों में अलग–अलग होने के कारण उसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था।

पपिया के दस्तावेजों को देखने के बाद तहसीलदार मावली से तुरंत रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार मावली पटवारी व भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट मय अनुशंसा प्राप्त होने के कारण राजस्व दस्तावेज में पपिया का नाम प्रभु करने का आदेश राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत पारित किया गया।

तहसीलदार ने उस आदेश के तहत नामान्तरण दायर कर उसका नाम संशोधित कर दिया। जिसके आधार पर अब पपिया को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा जो पहले जमाबन्दी व दस्तावेजों में नाम भिन्न होने के कारण उसको लाभ नहीं मिल पा रहा था।

किसानों के लिए खुशी की लहर, रास्तों के समाधान से खेती की राह हुई आसान

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 राजस्थान के दोनो आधारभूत कानून है। जो किसानों के हितों व सरकारी भूमि की रक्षार्थ बने हैं। राजस्थान में किसानों के हित प्रभावित होने पर विभिन्न न्यायालयों में जिसमे, उपखण्उ अधिकारी, सहायक कलक्टर, ट्रायल कोर्ट है। एव राजस्व अपील अधिकारी, जिला कलक्टर, संभागीय आयुक्त राजस्व मण्डल अपीलीय न्यायालय हैं।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251A ''मार्ग व अन्य निजी सुखाचारों के अधिकार'' इस धारा के तहत् तहसीलदार द्वारा किसी भू–धारक से मार्गाधिकार या अन्य सुखाचार या अधिकार में जिसका वह वास्तव में उपभोग कर रहा है किसी दशा में उसको बंद करने की स्थिति में तहसीलदार उस रास्ते को धारा 251A के तहत नियमानुसार सुनवाई का अवसर देकर खोला जा सकता है। जिसमें मुख्यतया पहले से चल रहे रास्तों को किसी के द्वारा बंद कर देने से स्थिति में मार्गाधिकार के तहत बंद रास्ते को खुलवाया जाता है लेकिन किसानों के मध्य आपसी विवाद होने के कारण बार–बार उस रास्ते को बंद कर दिया जाता था। जिसके कारण किसानों के बीच तनाव बना रहता था एवं कभी कभी इस रास्ते को बार– बार बद् करने व खुलवाने के तहत कानून व्यवस्थ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

इस समस्या के समाधान के लिए अधिसूचना संख्या प.2 (24) विधि/2/2010 सन् 2012 संशोधन अधिनियम संख्या जो राजपत्र में 18 जनवरी 2012 को प्रकाशित कर नई धारा 251A जोड़ी गई जिसका लाभ विभिन्न काश्तकारों को मिला एवं राजस्थान काश्तकारी में एक नई मिसाल कायम की। इस धारा के फायदे को एक साधारण प्रकरण/कहानी से समझा जा करता है।

एक व्यक्ति धन्ना (बदला नाम) जिसने अपनी जीवन की कमाई का कुछ हिस्सा बचा कर रखा और किसी व्यक्ति से 7 बीघा जमीन खरीदी। धन्ना ने एक सपना संजोया कि अब वह खेती करेगा। धन्ना ने जिससे खेती की 7 बीघा जमीन खरीदी वह बहुत सारे खसरे से घिरी हुई थी एवं वहां पहुँचने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं था। इससे पहले जिस काश्तकार से उसने वह भूमि क्रय की थी, वह काश्तकार अपने पड़ोसी खसरों जो उनके भाई बंधु थे, वहां से आना जाना रहता था लेकिन धन्ना वहां किसी दूसरी बिरादरी का होने के कारण अपनी पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रयशुदा भूमि पर जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण परेशान रहा। वहां जो पुराना रास्ता था जहां से आवागमन होता था । वह रास्ता बंद कर दिया गया।

धन्ना अपने खेत में पहुंच के लिए रास्ता चाहने हेतु तहसीदार न्यायालय में प्रार्थना

पत्र देने के बाद तहसीलदार द्वारा बंद रास्ता खुलवाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251A सुनवाई के बाद रास्ता खुलवाने के आदेश पर मौके पर जाने के बाद भारी तनाव के माहोल में रास्ता खौल दिया जाता है। धन्ना खुश था, कि अब उसको खेत में जाने का रास्ता मिल गया है लेकिन पुनः 2–3 दिन बाद रास्ता पुनः बंद कर दिया जाता है। बाद में 251A का प्रार्थना पत्र सहायक कलक्टर के न्यायालय मे पेश किया। धन्ना पिछले 2 सालों से परेशान था ना तो वहां अपने खेत में कोई फसल बो पा रहा था, ना ही अपनी कृषि भूमि का कोई उपयोग कर सकता था।

सहायक कलक्टर न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 251A में पेश करने के बाद तहसीलदार द्वारा यह रिपोर्ट प्राप्त हुई कि धन्ना के खेत में जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण, निकटतम रूट का रास्ता प्रस्तावित किया गया एवं साथ में ही जो रास्ता तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित करने के बाद विपक्षी जो प्रभावित पक्षकार धन्ना जिनके खेतों से होकर कृषि खेत में जा सकता था। उन्होने उस रास्ते का समर्थन नहीं किया एवं बाद में न्यायालय द्वारा बहस एवं निर्णय के बाद धन्ना को धारा 251A के तहत रास्ता उपलब्ध कराने के आदेश पारित हुए एवं धन्ना से डीएलसी का दुगुना पैसा न्यायालय में जमा कर रास्ता प्राप्त किया चूंकि बाद में प्रभावित पक्ष ने राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील की गई लेकिन माननीय न्यायालय ने अपील को अस्वीकार करते हुए सहायक कलक्टर के आदेश को बहाल रखा। धन्ना को आज रेकॉर्डेड गैर मुमकिन रास्ता उपलब्ध हो गया जो बाद में तहसीलदार द्वारा पुलिस जाब्ते के साथ उस रास्ते को खुलवाया जाकर आज भू–अभिलेख में दर्ज होने के कारण स्थायी रास्ता है। आज धन्ना खुशी से बिना किसी वादा के खेती कर पा रहा था।

यह एक सशक्त उदाहरण है जिसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251A के प्रभाव के कारण किसानों को बडी मात्रा में राहत प्रदान हो रही है।

राजस्थान में विभागीय पदोन्नति समिति

ममता कुमारी तिवाड़ी, RAS
रजिस्ट्रार, कृषि विश्वविद्यालय
कोटा, राजस्थान

परिचय

पदोन्नति प्रत्येक योग्य कार्मिक का स्वप्न एवं अधिकार है। पदोन्नति अच्छे कार्य का पुरस्कार है। यह संगठन में कार्यरत कार्मिकों की कार्यकुशलता उनकी सन्तुष्टि तथा मनोबल के स्तर को प्रभावित करती है। पदोन्नति का अर्थ 'एक पद से किसी दूसरे ऐसे पद पर नियुक्ति से है जो उच्चतर श्रेणी का है तथा जिसमें बड़े उत्तरदायित्व के साथ पद नाम परिवर्तन एवं वेतन वृद्धि हो जाती है।[1] पदोन्नति की प्रक्रिया को निश्पक्षता एवं वैधानिकता प्रदान करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) का प्रावधान किया गया है। यह समिति उपलब्ध कार्मिकों की पदोन्नति पात्रता का परीक्षण करके पदोन्नति कार्मिकों की कार्यसन्तुश्टि में उत्तरोत्तर वृद्धि करती है।[2] प्रस्तुत लेख के माध्यम से राजस्थान में विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) के विभिन्न प्रावधान एवं पहलुओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

विभागीय पदोन्नति समिति

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के द्वारा प्रदान शक्तियों के अन्तर्गत राज्यपाल ने राज्य सरकार के अधीन सभी राज्य, अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में भर्ती/पदोन्नति के लिए विभागीय भर्ती/सेवा नियमों की संरचना की। इन्हीं विभागीय भर्ती/सेवा नियमों में विहित पदोन्नति के पदों की समय–समय पर होने वाली रिक्तियों की पूर्ति के लिए सम्बद्ध भर्ती/सेवा नियमों में ही एक स्थाई समिति का गठन किया गया जो विभागीय पदोन्नति समिति के नाम से जानी जाती है। यह समिति संविधानसम्मत है, अतएव इसके अधिकार न्यायिक प्रकृति के हैं।[3] फलतः इस समिति से अपेक्षा की गई है कि यह अपने कर्तव्यों का वहन भी सेवा नियमों में विहित प्रावधानों की सीमा में सुसंगत, न्याय संगत एवं तर्क संगत रीति से ही करेगी।

इस स्थाई समिति की संरचना इसके अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सचिव के पदनाम से है न कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम से। जिन पदों पर भर्ती/पदोन्नति राजस्थान लोक सेवा आयोग की परिधि में है उन पदों की रिक्तियों की पूर्ति के लिए गठित समिति का अध्यक्ष सदैव ही आयोग का अध्यक्ष स्वयं अथवा उनके द्वारा मनोनीत आयोग का ही कोई सदस्य होगा, अन्य कोई नहीं। आयोग की परिधि से बाहर के पदों की रिक्तियों की पूर्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी ही इस समिति का अध्यक्ष होता है। इस समिति में गणपूर्ति का कोई विकल्प नहीं है; अर्थात पूर्ण समिति ही बैठक आयोजित कर सकती है, चूंकि कोई भी सदस्य अपना दायित्व स्वयं ही निभा सकता है, किसी अन्य के विचारों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता।[4]

प्रमुख कारक–

1. बैठक की आवश्यकता एवं संरचना (Need to convene meeting and constitution): सेवा नियमों में पदोन्नति हेतु निर्धारित (determined) रिक्तियों की पूर्ति के लिए वरीयता–सह–पात्रता सूची (विचारण सीमा) में आने वाले कार्मिकों की योग्यता (suitability) अभिनिर्धारित (adjudge) किये जाने का अधिकार समिति को ही है, अन्य किसी को नहीं, अतएव समिति की बैठक का आयोजन यथा समय वांछनीय है। समिति की संरचना ऊपर वर्णित स्थाई रूप से की हुई है, अतएव बैठक विशेष के आयोजन के प्रयोजनार्थ तत्समय पदासीन अधिकारी स्वतः ही इसके सदस्य होते हैं। आयोग के मामले में अध्यक्ष स्वयं अथवा उनके द्वारा मनोनीत आयोग का ही कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करते हैं। किन्ही सेवाओं में समिति इससे भिन्न भी हो सकती है, उदाहरणार्थ राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आर॰ए॰एस॰) के लिए समिति में पॉच पदाधिकारी होते हैं।

2. बैठक की आवृति (Frequency) एवं रिक्तिः

पदोन्नति हेतु नियमित अन्तराल पर समिति की बैठक होना आवश्यक है। वर्ष विशेष में किसी भी पद के लिए पदोन्नति हेतु यदि एक भी रिक्ति हुई है तो उस पर पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिक की योग्यता निर्धारित किये जाने हेतु मूल बैठक उसी वर्ष में अथवा प्रशासनिक कारणों से उस वर्ष में ही बैठक आयोजित न हो सके तो किसी भी आगामी वर्ष में केवल एक बार ही बैठक आयोजित हो सकेगी। यह 01 अप्रेल से 31 मार्च तक हो सकती है।[5] रिव्यू बैठक बाद में भी आयोजित हो सकती है। प्रत्येक वर्ष के 01 अप्रेल की स्थिति में किसी भी सेवा विशेष में सम्पूर्ण वर्ष में पदोन्नति हेतु उपलब्ध सभी रिक्तियों का वर्गवार पदों के उतरते क्रम में (Descending Order) निर्धारण किया जाता है।

3. आरक्षण एवं पात्रताः

रिक्तियों के अवधारण की प्रक्रिया में पद विशेष की सकल संवर्ग संख्या में कितने पद आरक्षित वर्ग के बनते हैं, कितने कार्यरत हैं और इस आधार पर कितनी रिक्तियां किस आरक्षित वर्ग की बनती हैं, यही देखा जाना होता है, क्योंकि आरक्षण पद आधारित है न कि रिक्ति आधारित। वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन जाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। अन्य किसी भी प्रवर्ग को पदोन्नति में आरक्षण प्राप्त नहीं है, अर्थात अजा एवं जजा के अतिरिक्त समी कार्मिक पदोन्नति की प्रक्रिया में अनारक्षित प्रवर्ग में ही हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि एकल पद संवर्ग में आरक्षण नहीं है और इसी प्रकार जिस पद पर पदोन्नति का अम्यंश 25 प्रतिशत से कम है उस पदोन्नति में भी आरक्षण का नियम प्रवृत्त नहीं है।[6] रोस्टर बिन्दुओं से संवर्ग पूर्ति के पश्चात रिक्तियों के प्रतिस्थापन (replacement of Vacancies) का नियम लागू हो जाता है, रोस्टर बिन्दु बन्द हो जाते हैं।[7] वर्ष 2017 से छोटे परिवार की अवधारणा को प्रोत्साहित करने हेतु दो से अधिक संतान वाले कार्मिक तीन भर्ती वर्षों के लिए पदोन्नति हेतु पात्र

नहीं होगें। पूर्व में यह 05 भर्ती वर्ष तक रोकने का प्रावधान था। (01 जून 2002 से)। इसमें दत्तक गृहीत संतान, जुड़वा बच्चे एवं पुनर्विवाह के आधार पर युक्तियुक्त छुट का प्रावधान है। साथ ही अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन जाति के लिए 12 प्रतिशत से अधिक पदोन्नतियाँ नहीं होंगी। इस हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना सं॰ प. 7(3) कार्मिक/क–2/08, दिनांक 11.09.2011 प्रचलित है।[8]

4. विचारणीय सीमा एवं अभिलेख (Zone of Consideration and Relevant Record):

पदोन्नति हेतु वरीयता–सह–पात्रता सूची में नामावली निम्नानुसार होगी:[9]

क्रम	रिक्तियों की संख्या		पात्र अभ्यर्थियों की संख्या
क.	एक रिक्ति के लिए	–	पाँच पात्र अभ्यर्थी वरीयता क्रम में।
ख.	दो रिक्तियों के लिए	–	आठ पात्र अभ्यर्थी वरीयता क्रम में।
ग.	तीन रिक्तियों के लिए	–	दस पात्र अभ्यर्थी वरीयता क्रम में।
घ.	तीन से अधिक रिक्तियों	–	रिक्तियों का तीन गुणा पात्र अभ्यर्थी के लिए वरीयता क्रम में।

वांछित संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में जो भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों उन्हें ही वरीयता–सह–पात्रता सूची में रखा जायेगा। यदि किसी पद के लिए कोई भी अभ्यर्थी वॉछनीय अनुभव की पूर्ति नहीं करता हो तो विहित अनुभव में एक तिहाई तक का शिथिलन देकर पात्र बनाया जा सकेगा, किन्तु किसी व्यक्ति विशेष को ही पात्र बनाने के उद्देश्य से शिथिलन नहीं दिया जायेगा। आरक्षित वर्ग में पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने पर विचारणीय सीमा को सात गुणा तक बढ़ा सकते है। फिर भी आरक्षित वर्ग में पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो भी रिक्तियों को अस्थाई आधार को छोड़कर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से नहीं भरा जाएगा। समिति विचारण सीमा में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से रिक्तियों के बराबर तक के ही नामों की, अभिलेख के आधार पर, योग्यता (suitability) अभिनिर्धारित (adjudge) करती है। इस हेतु भर्ती वर्ष के ठीक पूर्व के सात वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ही देखे जाते है। यद्यपि इसमें कुछ अपवाद है यथा यदि समिति की बैठक सम्बन्धित वर्ष के 30 सितम्बर तक हो रही हो तो सात वर्ष के अभिलेख में उस आलोच्य वर्ष के ठीक पूर्व के वर्ष को छोड़ कर उससे पूर्व के सात वर्षों का अभिलेख देखे जायेंगे।

5. समिति के समक्ष अभिलेख एवं पात्रता पर विचार (Record and Consideration):

समिति का सदस्य सचिव अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी ही समिति की बैठक में सम्पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत करेगा जिसमें यथानिर्णय सात वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, प्रतिकूल टिप्पणियों सहित, यदि कोई हो, के अतिरिक्त दण्ड, आरोप–पत्र,

निलम्बन, न्यायालय स्थगनादेश इत्यादि का भी ब्यौरा होगा। ये सभी अन्य अभिलेख उस रिक्ति की तिथि के संदर्भ में होंगे जिस रिक्ति के विरुद्ध राजसेवक पदोन्नति हेतु विचारार्थ है, अर्थात राजसेवक जिस रिक्ति के विरुद्ध चयनित होता है, उस रिक्ति की उपलब्धता जिस दिवस को होती है, उस दिवस को राजसेवक के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्रवाई/फौजदारी प्रकरण/दण्डादेश/निलम्बन इत्यादि पर विभागीय पदोन्नति समिति को विचार करना होगा। वरीयता क्रम से तथा योग्यता क्रम से, दोनों ही प्रकार की रिक्तियों पर पदोन्नति हेतु विचार किये जाने में समिति के द्वारा असन्तोषप्रद वार्शिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन और दण्ड/ शास्ति, जैसी भी स्थिति हो, को ध्यान में रखते हुये योग्यता (suitability) निर्धारित की जायेगी। योग्यत्ता हेतु सात वर्षों में से किन्हीं भी चार वर्षों का अभिलेख "उत्कृष्ट" अथवा "बहुत अच्छा" अथवा मिश्रित प्रकार का होना चाहिए। शेष तीन वर्षों का अभिलेख संतोषप्रद होना पर्याप्त है।[10]

6. दण्ड, निलम्बन, जाँच इत्यादि का चयन पर प्रभाव (Impact of under cloud record) : (sealed Envelop-SE) :

दण्ड, निलम्बन, जाँच इत्यादि विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाएँ है जो कार्मिक के कैरियर को प्रभावित करती है। पदोन्नति के लिए विचाराधीन अभ्यर्थी के विरुद्ध यदि सम्बद्ध वर्ष की 1 अप्रेल को निलम्बन हो अथवा अभी जॉच चल रही हो; अर्थात आरोप–पत्र दे दिया गया हो, कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हो, किन्तु अभी निर्णय नहीं हुआ हो तो ऐसे सभी प्रकरण भारत संघ विरुद्ध के वी॰ जानकीरमण इत्यादि के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.08.1991 के अन्तर्गत आच्छादन (Under Cloud) की श्रेणी में रखे हैं। उक्त निर्णय की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा समिति से अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाने अथवा बन्द लिफाफा की रीति अपनाने की अपेक्षा की जाती है।

7. प्रतिकूल वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Adverse entries) का प्रभाव (Deferred Case):

समिति द्वारा तय किये गये पूर्व के सात वर्षों के अभिलेख में यदि किसी अभ्यर्थी का कोई असंत्तोषप्रद काल हैं तो उसके आधार पर उस अभ्यर्थी को पदोन्नति से वंचित रखा जाने का राज्य सरकार का निर्णय है। जहाँ प्रतिकूल प्रतिवेदन की सूचना अभ्यर्थी को प्रदान की गई हो और उसका अभ्यावेदन/अपील इत्यादि लंबित हो तथा जिस अभ्यर्थी को प्रतिकूलता की सूचना दी ही नहीं हो, उस प्रतिकूल अभिलेख को जिसके प्रति अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने का अवसर अभी नहीं दिया गया है, ध्यान में रखते हुये, ऐसे प्रकरणों पर समिति द्वारा विचार किये जाने और नियुक्ति, पदोन्नति की अभिशंषा किये जाने अथवा चयन को आस्थगित रखे जाने का निर्णय समिति द्वारा किया जाता है।

8. समिति के अधिकार एवं बन्द लिफाफा खोलना

राज्य सरकार के निर्देशों/नियमों/सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में वरीयता क्रम में एवं योग्यता क्रम में प्रदान की जाने वाली पदोन्नतियों के लिए समिति द्वारा अभिशंषित नाम, वरीयता–सह–पात्रता सूची में जिस क्रम में हैं उसी क्रम में चयन सूची में रखे जाते है। जो अभ्यर्थी योग्य नहीं पाये जाते है, उनके नाम चयन सूची में नहीं आयेंगे। उन्हें उपेक्षित (Supersede) किया जायेगा। चयन सूची में उतने ही नाम रखे जाते हैं जितनी रिक्तियाँ हैं। किस अभ्यर्थी को दण्ड के आधार पर कितने समय के लिए पदोन्नति से वंचित रखा जाये, इस विषयक राज्य सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि परिनिन्दा की शास्ति में एक वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित किया जाता है। सरकार को हुई आर्थिक हानि की वसूली के दण्डादेश में एक बार पदोन्नति से वंचित किया जाता है, परन्तु यदि हानि की वसूली के एक से अधिक दण्डादेश हों तो जितने दण्डादेश हैं उतनी ही बार पदोन्नति से वंचित किया जाये। किसी भी पद से निचले पद सेवा/ग्रेड/वेतनमान में अवनत कर देने के दण्ड में दण्डादेश के दिनांक से अगले सात वर्षों तक पदोन्नति से वंचित किया जाता है। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों में प्रतिकूल प्रविष्टियों के प्रकरणों में भी यही प्रक्रिया है। लंबित जॉच के आधार पर समिति द्वारा अभ्यर्थी विशेष के लिए बनाये गये बन्द लिफाफे को उस जाँच के निर्णय के अनुरूप आदेश प्रसारित हो जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा खोला जाता है। इस सम्बन्ध में यदि जॉच का निर्णय अभ्यर्थी के पक्ष में रहा है तो उसे भूतलक्षी प्रभाव से जिस क्रमांक पर वह मूलतः पात्र था तबसे ही पदोन्नति प्रदान की जायेगी और वरीयता का लाभ भी दिया जायेगा। यदि जॉच का निर्णय अभ्यर्थी के विरुद्ध रहा है तो उसके लिए आरक्षित रिक्ति उसकी उपलब्धता के मूल दिनांक से ही मुक्त मानी जाकर उस पर वरीयता क्रम में अगले पात्र अभ्यर्थी को रिक्ति की उपलब्धता के दिनांक से ही पदोन्नति दी जायेगी एवं यदि बन्द लिफाफा प्रक्रिया अपनाई जाने के पश्चात यह पाया जाये कि अमुक अभ्यर्थी के नाम पर भूल से अथवा त्रुटिपूर्ण रीति से; यथा गलत नाम से उसके चयन को मुहर बन्द कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति ध्यान में आते ही सक्षम स्तर पर उस बन्द लिफाफे को खोल कर उस अभ्यर्थी को उसकी वरीयतानुसार भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति दी जाकर उसे पूर्ण वेतन लाभ भी दिया जाये। इस हेतु चयन समिति की अभिशंषा का पुनरावलोकन आवश्यक नहीं है।

निष्कर्ष :

विभागीय पदोन्नति समिति का महत्व निरपवाद है। इससे अनुभवी कर्मचारी संगठन में बने रहते है। यह कार्मिकों को श्रेश्ठ कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करती है। नियमित रूप से डी॰पी॰सी॰ की बैठक का आयोजन होने से पदोन्नति समय पर मिलती रहती है जिससे कर्मचारियों/ अधिकारियों की वृत्तिका विकास एवं मनोबल में वृद्धि होती रहती है। राजस्थान में आव यकता है कि प्रत्येक विभाग में नियमित रूप से इन समितियों का आयोजन होता रहे।

सन्दर्भ सूची :

1. एल॰डी॰ व्हाइट, इन्ट्रोडक्शन टु द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
2. पारीक, अनिल कुमार, कार्य सन्तुष्टि (Job Satisfaction), आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर, 2016
3. परिपत्र सं॰ प॰ 2 (1) कार्मिक/क–2/अं॰प्र॰/91/04.06.2008, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार।
4. वही।
5. वही।
6. परिपत्र सं॰ प॰ 15 (24) कार्मिक/क–11/75/24.06.2008, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार।
7. केड़वाल सूरजमल, विभागीय पदोन्नति नियम, 2017
8. परिपत्र सं॰ प॰ 7 (1) कार्मिक/क–2/99/04.03.2014, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार।
9. केड़वाल सूरजमल, विभागीय पदोन्नति नियम, 2017
10. यह नियम राज्य सरकार की अधिसूचना सं॰ प॰ 7(5) कार्मिक / क–11/2002/23.07.2003 कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार ने लागू किया गया है।

GENERALISED COURT MANAGEMENT SYSTEM (GCMS)

R.Vardarajan
Addl.Director, IT
Board of Revenue for Rajasthan
Ajmer

One of the major aim and objective of the Board of revenue of Rajasthan is to provide a common legal forum to the people of Rajasthan in matters relating to agricultural tenancies, land tenures, revenue, rent, survey, record, settlement and other matters connected with land. Its objective is to deliver justice in an expeditious, cheap and satisfactory manner.

Computers have become an indispensable tool in office automation. Looking at the number of cases being registered every day in the Indian Courts it has become essential that court work should be computerised. Automation will not only allow information to be kept accurate but also allow fast access to information and maintenance rather than looking to the piles of files which in turn will benefit in fast disposal of case.

Case management is one of the key task areas of the Board. A detailed study of the case management system was carried out at the Board, with the objective to suggest an improved case Management system through computerization.

The Court Computerisation started in the Board way back in the year 1992. However, with the change of technology, its reach and with the aims& objectives to develop common platform to cover all sub-ordinate revenue courts along with the Board, for seamless communication among courts, e-Cause list, e-Decision Copy, Case Status on public domain et al.

GCMS is envisaged to achieve these objectives, with the use of the state-of-the-art technology & tools of State Data Centre. The Department of Technology & Communication has played a pivotal role in development of this platform, which is not just used by the Revenue department, but also by other department like Tax Board, BSBY, LARRA, DMG Courts. It is most unique and perhaps the only system in the country to cover the entire revenue court system on a single platform.
Salient features of GCMS –

1. All revenue courts right from SDO courts upto the Board of Revenue are covered on a single platform.

2. Unique Case ID is assigned to each case which can be used to track the case status from anywhere from the globe.
3. E-Cause List for each court is made available on public domain.
4. E-Case Decision is made available on public domain.
5. Case listing / hearing detailing are made available online through large TV screen in the Board for each bench and same is updated on the public domain.
6. Touch Screen based system is made available to check the status of cases in the Board.
7. The system is integrated with Land Records to ascertain the Land disputes are flagged with the help of Khasra Numbers in Land Records to ensure public at large is well informed about the Land details.
8. SMS alerts are sent on various instances like case registration, case decision etc.

In order to ensure efficient functioning of sub-ordinate court and to monitor their performance, provision of DashBoard based monitoring tool exhibiting case registered, pending, decided, aging of case etc.is provided, which are used by the higher authorities to monitor the performance and provide ranking.

In order to have complete paperless system in place, it has been planned to start online case registration, which is at present is in testing phase. Once its start, the most of the information about the case shall be entered/captured online, which will enable quick registration of cases in the courts from the remote locations, rather than visiting the court in person. Additionally it will ensure authenticity of data in the case of filing an appeal, as lower court information shall be automatically captures, just by keying in case ID, Court ID and date of decision, as well.

Looking to the needs of the day and facilitate the litigants, the decisions are in the process of e-Signing by the presiding officer. The worth reporting cases are tagged separately to enable other presiding officers and advocates to make use of them for the purpose of citations.

The case-law database of select cases which has been built over the period of time, and being used only in the Board, is also been planned to integrate with GCMS, so that searchable citation could be used by the all sub-ordinate courts and

advocates online.

The entire system is operational through the Single-Sign-On(SSO) mechanism, which ensure secured and authentic operations / transactions.

The court and case information for the public domain can be accessed from http://gcms.rajasthan.gov.in/

In order to bring total transparency, the bench allotment module has being launched recently, wherein once the Hon'ble Chairman, allots the benches among the hon'ble members, the information of this allotment is exhibited on the public domain.

The application and the database are hosted on the State Data Centre of the State Government, which is managed by the Department of Information Technology & Communication. It uses, the most advancedtechnology in terms of servers, network devices, firewall in places. With multi servers managed with load balances is to ensure that resources are always available to users for smooth operations even during the peak hours.

The GCMS will certainly bring a change in the court system and help in brining in quick delivery of justice to the rural masses of the State, in addition to providing them information about the case on their finger tips. It will also help the advocates to track their filed cases in various revenue courts in the State on a common platform.

डॉ. निहारिका राठौड़
(सहा. प्रोफेसर लोक प्रशासन)

डॉ. गिरवर सिंह राठौड़
(P.h D., D. Litt. Ex-RTS)

कलक्टर : भूमि प्रबंधक के रूप में
(Collector as a Manager of Land)

भारतीय नौकरशाही व्यवस्था में जिला कलक्टर अर्थात् 'डिस्ट्रिक्ट कलक्टर' का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा गौरवशाली परम्पराओं से युक्त है। प्रो. एस.आर. माहेश्वरी का मत है कि जिला कलक्टर का पद मुगलकालीन करौडी फौजदार का संशोधित रूप है। ब्रिटिश शासन के दौरान कलक्टर का पद राजस्व एकत्रण(Collection) के लिए सृजित किया गया था जिसे कालान्तर में शांति एवं न्याय व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य भी सौंप दिए गए लेकिन वर्तमान में जिला कलेक्टर के कार्य मूलतः विकास प्रशासन से जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सन् 1772 में बंगाल में कलक्टर का पद सृजित किया गया जिसे सन् 1773 में समाप्त कर दिया गया लेकिन सन् 1781 में पुनः यह पद सृजित हुआ तथा सन् 1786 से जिले को राजस्व एकत्रण की महत्वपूर्ण इकाई स्वीकार करते हुए कलक्टर पद को अनेक अधिकारों से युक्त किया गया । राल्फ शैल्डन को ब्रिटिश शासन का प्रथम जिला कलक्टर माना जाता है । सन् 1787 में कलेक्टर को राजस्व एकत्रण के साथ–साथ आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण हेतु दण्डनायक की शक्तियॉ भी प्रदान कर दी गई । सन् 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने कलक्टर की राजस्व तथा न्यायिक शक्तियॉ पृथक् करते हुए इस पद की स्थिति को किंचित् निम्न बनाया किन्तु सन् 1812 में हॉल्ट मैकेंजी ने पुनः कलक्टर को असीम शक्तियॉ प्रदान कर दीं कलक्टर का पद सदैव ही उच्च प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से भरा जाता रहा है। ब्रिटिशकाल में भी ब्रिटिश लोकसेवाओं तत्पश्चात् इण्डियन सिविल सर्विस (ICS) के अधिकारी इस पद पर आसीन होते रहे। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संगाम के दिनों में गठित अनेक आयोगों तथा कमेटियों नें कलक्टर के पद को सुदृढ़ बनाए रखने की सिफारिशें की थीं।

भारत में बहुत से राज्यों जैसे बिहार, कर्नाटक, असम, पंजाब, जम्मू–कश्मीर तथा हरियाणा में जिला कलक्टर को उपायुक्त अर्थात् 'Deputy Commissioner' या 'DC' भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में जिला कलक्टर को जिला दण्डनायक (DM) या जिलाधिकारी के नाम से अधिक पहचाना जाता है। राजस्थान में

जिला कलक्टर का पूरा नाम जिला कलक्टर व जिला दण्डनायक है। इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी को नियुक्त किया जाता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में व्यवस्था है कि काश्तकार (Tenant) व सरकार के अधिकार व कर्तव्य क्या होगें जबकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में यह व्यवस्था है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को किस तरीके से कार्यान्वित किया जायेगा।

जिला कलक्टर की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 साथ ही इनके अन्तर्गत निर्मित नियम (राजस्थान भू–राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957) के अन्तर्गत भूमिका एक राजस्व अधिकारी के रूप में– नियंत्रण, निरीक्षण व निर्देशन की है वही जिला कलक्टर उपरोक्त भूमि विधियों में अपील, निर्देश(Reference), पुनरीक्षण(Revision) तथा पुनरावलोकन(Review) की शक्तियॉ रखता है (कृपया अवलोकन करे राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा74 से 80)

उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर को उपरोक्त विधियों के अन्तर्गत निर्मित धाराओं में से केवल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(क) में ही प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार है जो भूमि के विक्रय दान बंधक की वैधता के सन्दर्भ में है (देखे अनूसूची तृतीय संलग्न है) ।

जिला का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जिला कलक्टर या डी.एम.(DM) कहलाता है।

जिला कलक्टर की भूमि प्रशासन मे भूमिका निम्न प्रकार हैः–

भू–राजस्व अधिकारी के रूप में:–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 जिला कलक्टर को भू–राजस्व से सम्बन्धित न्यायिक, अर्द्ध न्यायिक, प्रशासनिक तथा नियंत्रणकारी शक्तियॉ प्रदान करता है। इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर के निम्नलिखित कर्तव्य हैं–

- ग्रामवार नक्शे तथा अभिलेख तैयार करवाना;
- पटवारी, कानूनगो तथा भू–अभिलेख निरीक्षक पर नियंत्रण रखना;
- कानूनगो तथा तहसीलदार के कार्यालयों का निरीक्षण करना;
- सीमांकन तथा सर्वे प्रतीक चिन्हों का संरक्षण करना;
- भू–सम्पदाधारकों द्वारा किये गए संशोधनों या परिवर्तनों का पंजीकरण करना;
- जिले की फसल स्थिति का आकलन तथा उसकी रिपोर्ट तैयार करना;
- सरकारी सम्पत्ति (भूमि) पर अतिक्रमण रोकना;
- भू–राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया को दुरूस्त बनाये रखना;
- भूमि सुधारों के नियमों तथा कानूनों को क्रियान्वित करना;
- राजस्व उगाही में उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार व पटवारी को निर्देशित करना;
- जिले की रिपोर्ट संभागीय आयुक्त व सरकार को प्रस्तुत करना;

- कृषि भूमि को अकृषि भूमि में रूपान्तरित करना।

इस प्रकार जिला कलक्टर के भू–राजस्व से सम्बन्धित कार्य मुख्यतः नियंत्रक, प्रशासक तथा राजस्व संग्रहणकर्ता के समान है।

जिला कलक्टर के रूप में:–

अग्रेंजी के शब्द कलक्ट (एकत्र करना) से कलक्टर पदनाम बना है जो ब्रिटिशकाल में भू एवं कृषि राजस्व एकत्र करता था और न्यूनाधिक मात्रा में आज भी जिला कलक्टर का मुख्य कार्य राजस्व एकत्र करना बना हुआ है। कलक्टर के रूप में वह जिला स्तर पर राजस्व प्रशासन का मुखिया होता है जो निम्नांकित कार्य करता है–

1. राजस्व की दरों का निर्धारण करना;
2. भ–राजस्व, सिंचाई कर तथा अन्य सरकारी राशि पूरी मात्रा में तथा निर्धारित समय में एकत्र करवाना;
3. कृषि आयकर, सिंचाई शुल्क, नहरी शुल्क, आयकर, ब्रिकी कर तथा अन्य आवश्यक करों को उगाहने में प्रशासनिक निर्देश प्रदान करना;
4. अदालती फीस, जैसे– रेवेन्यू स्टाम्प, विभिन्न प्रकार के सौदों, डीड की बिक्री तथा अन्तरण इत्यादि पर नियंत्रण;
5. भूमि अधिग्रहण की कार्यवाहियॉ करना;
6. राजकोष की स्थिति पर नियंत्रण तथा राज्य सरकार को सूचना प्रदान करना;
7. भू–सर्वेक्षण, नक्शा निर्माण, भू–अधिनियमों का क्रियान्वयन, सैटलमेण्ट, नजूल भूमि की रक्षा तथा भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखना;
8. उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो तथा पटवारी पर नियंत्रण करना एवं मार्गदर्शन देना;
9. कृषि, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं के समय लगान वसूली में रियायत प्रदान करना;
10. राजस्व मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना;
11. कृषि सांख्यिकी तैयार करवाना;
12. कृषि ऋण वितरण की व्यवस्था करवाना;
13. कृषि जोतों की चकबन्दी,जमींदारी उन्मूलन, बन्धुआ मजदूरी उन्मूलन एवं भूमि सुधारों को लागू करना;
14. जिला राजकोष पर नियंत्रण करना;

जिला कलक्टर राजस्व अधिकारी के रूप में:–

1. राजस्थान भू–राजस्व नियम, 1963 के अन्तर्गत राजकीय विभागों, संस्थान, स्थानीय निकाय एवं गैर सरकारी संस्थान एवं केन्द्र सरकार को भूमि आवण्टन का कार्य;
2. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि में आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के प्रकरण एवं समीक्षा कार्य;

3. औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि का आरक्षण एवं कृषि भूमि को होटल प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के प्रकरण एवं समीक्षा कार्य;
4. राजस्थान भू–राजस्व (सिनेमा एवं पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु कृषि भूमि आवण्टन) (संपरिवर्तन) नियम, 1978 के मामले;
5. ग्राम पंचायतों/नगरपालिकाओं को आबादी विस्तार हेतु भूमि का आवण्टन करने बाबत;
6. एक्सप्लोजिव मैगजीन हेतु भूमि आवण्टन, रूपान्तरण बाबत;
7. भूमि अवाप्ति के 10 लाख तक के अवार्ड अनुमोदन करना तथा इससे अधिक के लिए सम्भागीय आयुक्त/राज्य सरकार को प्रेषित करना एवं धारा–5ए की रिपोर्ट अग्रेषित करना;
8. वन भूमि पुनर्भरण हेतु लैण्ड बैंक की स्थापना करना;
9. खनन पट्टों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना;
10. गौशाला भूमि आवंटन;
11. राजस्व भूमि सम्बन्धी विविध शिकायतों की जॉच एवं निस्तारण;
12. डेयरी हेतु भूमि आवंटन;
13. कुक्कुट पालन हेतु भूमि आवंटन;
14. औद्योगिक क्षेत्र भूमि आवंटन;
15. बाजार दर का निर्धारण और;
16. अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण।

न्यायिक अधिकारी के रूप में:–

जिला कलक्टर को भू–राजस्व, भूमि तथा सम्पत्ति इत्यादि से सम्बन्धित प्रारम्भिक अपीलीय एवं पुनरीक्षण और पुनरावलोकन की न्यायिक या अर्द्धन्यायिक शक्तियॉ प्रदान की गई है, जों निम्नलिखित प्रकरणों से सम्बन्धित हैं (धारा 23 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम)

- भूमि सीमा विवाद;
- चरागाह(गोचर) भूमि से सम्बन्धित विवाद;
- वन उपज से अपवर्जन के विवाद;
- भू–अभिलेख तथा पंजीकरण के विवाद;
- काश्तकारों के वर्ग एवं अवधि के विवाद;
- उत्तराधिकारी, अन्तरण तथा नामान्तरण के विवाद;
- भू–राजस्व से सम्बन्धित विवाद;
- लगान से मुक्त भूमि की जॉच और निर्धारण;
- सम्पत्तियों का विभाजन और एकीकरण;
- मुआवजे के प्रकरण (भूमि सम्बधि);
- भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन विक्रय और नीलामी;

- दस्तूर गवाही से सम्बन्धित विवाद;
- धारा 88 की उप–धारा(2) के अन्तर्गत दावे;
- अधिकार अभिलेख तथा वार्षिक रजिस्टरों के इन्द्राजों के विवाद;
- ऐसे अन्य विषय जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जांए;
- इस अधिनियम के अन्तर्गत जुर्माने, शास्तियां दण्ड (Penalties), जब्तियां (Forfeiture), अधिहरण(Confiscation) का विनिश्यन।

अध्याय–15 राजस्व न्यायालयों की प्रकिया और अधिकारिता की व्यवस्था करती है, जिसमें दस खण्ड बनाये गये है, जो इस प्रकार हैं–

* खण्ड (1) साधारण (धारा 206 से 125)– इसमें राजस्व न्यायालयों की अधिकारिता (धारा 207), सिविल प्रकिया संहिता का लागू होना (धारा 209), बिना मांगा अनुतोष (धारा 209), अस्थायी व्यादेश व रिसीवर की नियुक्ति (धारा 212), परिसीमा (धारा 464), तथा न्यायालय फीस (धारा 215), आदि मुख्य विषय दिये गये हैं।

(2) न्यायालय की शक्तियों का धारा 216 से 211 में वर्णन किया गया है।

(3) अपील–(धारा 222 से 228)

(4) पुनर्विलोकन / नजरसानी–(धारा 229)

(5) पुनरीक्षण (रिवीजन)–(धारा 230 से 231)

(6) निर्देश (रेफरेन्स)– धारा 232

(7) मामलों का अन्तरण–(धारा 233–238)

(8) राजस्व न्यायालय में स्वामित्व के अधिकार का प्रश्न (धारा 239–241)

(9) सिविल न्यायालयों में अभिधृति अधिकार का प्रश्न (धारा 242)

(10) अधिकारिता के बारें में विवाद (धारा 243–245)

* राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रसंग

अध्याय 4–राजस्व न्यायालयों व अधिकारियों की प्रक्रिया (धारा 51 से 73)

अध्याय 5– अपील (धारा 74–81), निर्देश (धारा 82), पुनरीक्षण (धारा 83–85) और पुनर्विलोकन (धारा 85 क 86) परिसीमा (धारा 87)

इस तरह कलक्टर के रूप में जिला कलक्टर की भूमिका अत्यन्त गम्भीर तथा महत्वपूर्ण है जो की उसकी परम्परागत छवि को प्रस्तुत करती है। भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जिला कलक्टर को कई प्रकार के अधिकार धारा 75, 92, 96, 224, 257 तथा 261 के अन्तर्गत प्राप्त हैं। वह तहसीलदार द्वारा पारित आदेशों एवं डिकी की अपीलें सुनता है। वह जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों पर निगरानी रखता है। अपने न्यायालय से तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालय से कोई भी मुकदमा हटाने या हस्तान्तरित करने का अधिकार जिला कलक्टर को प्राप्त है।

भूमि विनिमय के प्रावधान

अरुण कुमार जैन (RAS)
विशेषाधिकारी (भूमि अवाप्ति)
रीको, जयपुर।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 48 के अन्तर्गत एक वर्ग के अभिधारी अर्थात् खातेदार अन्य खातेदार से एवं गैर खातेदार अन्य गैर खातेदार से भू–धारक (लैण्ड होल्डर) की लिखित सहमति से भूमि का विनिमय कर सकते है। यह सहमति जारी किये जाने हेतु राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 में अधिसूचना दिनांक 15.12.1976 द्वारा नियम 24 कक जोड़ा गया । उक्त नियम द्वारा जिला कलक्टर को विनिमय की सहमति जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया। नियम 24कक में संशोधन हेतु अधिसूचना दिनांक 20.01.1982 द्वारा तहसीलदार को संबंधित तहसील क्षेत्र में प्राधिकृत किया गया है। एक से अधिक तहसील के क्षेत्राधिकार में भूमि के अवस्थित होने पर संबंधित जिलाधीश द्वारा अभिधारियों की लिखित पारस्परिक सहमति प्रस्तुत करने पर विनिमय आदेश जारी किया जा सकता है।

ऐसे समस्त विनिमय आदेश में, जिसका मूल्य 100/–रू से अधिक होने की स्थिति में, भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के अन्तर्गत पंजीकृत कराया जाना अनिवार्य है, यद्यपि राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 26.03.1984 द्वारा ऐसे दस्तावेजों पर देय सम्पूर्ण मुद्रांक शुल्क को माफ कर दिया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत अभिधारी द्वारा अपनी जोत के समेकन (चकबन्दी) के उद्देश्य हेतु सहायक कलेक्टर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 12 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करेगा। सहायक कलक्टर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 13 से 17 के अन्तर्गत चकबन्दी के उद्देश्य से प्राप्त विनिमय के आवेदन का निस्तारण करेगा।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 ए के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य अपने वर्ग के सदस्य के साथ ही विनिमय करने हेतु सक्षम है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 व 49 के अन्तर्गत जारी विनिमय आदेश का अधिकार अभिलेख (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) में प्रविष्टि हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 52 में प्रावधान है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 50 व 51 के अनुसार विनिमय आदेश से अधिकार अभिलेखों में परिवर्तन उपरान्त

अभिधारियों के अधिकार पूर्ववत ही रहेंगे।

आदेश जारी करते समय ध्यान रखने योग्य अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :–

1. अन्य अभिधारी द्वारा अपनी भूमि का सिवायचक भूमि से विनिमय किये जाने से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 24 कक के उपनियम 2 के अन्तर्गत आवश्यक है।
2. सह– खातेदार द्वारा जोत में अपने हिस्से का अन्य अभिधारी से विनिमय करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने से पूर्व अन्य समस्त सहखातेदारों की सहमति राजस्व लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकार्ड्स) नियम 1957 के नियम 136 के अन्तर्गत आवश्यक है।
3. अभिधारी द्वारा यदि अपने खेत के किसी हिस्से विशेष का विनिमय करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है तो राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 16(2) के अनुसार आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
4. उप–पंजीयक के समक्ष बिन्दु संख्या 1 से 3 से प्रभावित विनिमय पत्रक भूमिधारी की सहमति/सहमति के अभाव की स्थिति में प्रस्तुत किये जाने पर दस्तावेज को पंजीकृत करते समय धारा–39 की टिप्पणी अंकित की जानी चाहिये तथा सम्बद्ध पक्षकारों को नियमों की सुस्पष्ट जानकारी प्रदान करनी चाहिये।
5. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 की उपधारा टप् सपठित धारा 46 की उपधारा (1) (क), भारतीय व्यस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3(ग), हिन्दू दत्तक भरण पोषण अधिनियम की धारा 3 (ग) के अनुसार मन्दिर मूर्ति तथा राजस्थान लोकन्यास अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत/अपंजीकृत समस्त मन्दिर शाश्वत नाबालिग है तथा शाश्वत नाबालिग द्वारा धारित समस्त भूमि एवं उसके अधिकारों के संरक्षण का दायित्व राज्य सरकार का है। अतः भूमिधारी (लैण्ड होल्डर–तहसीलदार) का यह दायित्व है कि वे हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 8 की पालना में शाश्वत नाबालिग द्वारा धारित भूमि का विनिमय सिविल एवं जिला न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करे।
6. राजस्थान भू. राजस्व (भू. अभिलेख) नियम 1957 के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि विनिमय आदेश पंजीकृत करा लिया गया है अर्थात् अपंजीकृत विनिमय आदेश के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जावे।

आधुनिक अभिलेखागार में कैसी हो अभिलेख संधारण व्यवस्था

शंकर लाल बलाई
तहसीलदार, राजस्व मण्डल, अजमेर

राष्ट्रीय भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (छस्त्डच) आधुनिक सर्वे यंत्रों आधारित सर्वे व बन्दोबस्त संक्रियाएं संचालित कर मौके की विशिष्टियों के वास्तविक चित्रण अनुसार इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर डिजीटल, जी.आई.एस. रेडी नक्शों को तैयार कर भू–अभिलेख को आदिनांक कर ऐसी पारदर्शी भू–प्रबन्ध व्यवस्था को लागू करने संबंधी कार्यक्रम है, जिसमें कार्यक्रम के अन्तिम उद्देश्य कन्क्ल्यूटिव टाईटलिंग, टाईटल गारण्टी व टाईटल इन्श्योरेन्स की प्राप्ति सम्भव हो सकें । इसी योजना के तहत् अधिकार अभिलेख (लीगेसी रिकॉर्ड) को व्यवस्थित कर उक्त अभिलेख को आधुनिक अभिलेखागार (Modern Record Room) में रखा जाना है ।

भू–अभिलेख, अभिलेख को अभिलेखागार में रखने से पूर्व तहसील स्तर पर प्राथमिक तैयारी करनी होगी, वह इस प्रकार है:–

1. सबसे पहले अधिकार– अभिलेख (लीगेसी रिकॉर्ड) को राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के तहत् चिन्हित किया जावें ।
2. तहसीलों मे पूर्व में हो रखे समस्त अभिलेख के बस्तों को खोला जाकर उन में से जो अभिलेख लीगेसी रिकॉर्ड नहीं होकर अन्य रिकॉर्ड है और यह रिकॉर्ड जाया होने वाला रिकॉर्ड है, इसे बस्ते में से पृथक कर लेवें ।
3. राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 48 के तहत् पटवारी द्वारा जो अधिकार अभिलेख तैयार किया जाता है, और उसे यथासमय तहसील कार्यालय में ऑफिस कानूनगो के पास जमा कराया जाता है, उक्त अभिलेख को सूचिबद्ध किया जाना होगा ।
4. तहसील स्तर पर पृथक किये गये अधिकार अभिलेख (लीगेसी रिकॉर्ड) को ग्रामवार, वर्षवार (सम्वतवार) बढ़ते हुए क्रम में जमा लिया जावें ।
5. तहसील कार्यालय में स्थित में अभिलेखागार के लिए कितने कमरे हैं, उनको चिन्हित कर उन पर नम्बर अंकित करने हैं। केवल एक कमरा होने पर एक नम्बर दिया जाना है, इसके पश्चात कमरे में कितनी रेके हैं, उनकों क्रमवार नम्बर दिये जावें, यदि किसी रेक के दो भाग हो तो उसको भाग–A और भाग– B दिये जावें, रेक के एक भाग पर जितने कॉलम है, उनको क्रम संख्या 1 से लगाकर अन्तिम कॉलम तक नम्बर दिये जावें । प्रत्येक रेक के प्रत्येक भाग पर क्रम संख्या 1 से लिखी जायेगी ।
6. तहसील के अभिलेखागार में यदि कोम्पेक्टर लगा हुआ है, तो उसमें रेकों के नम्बर दिये जाकर भाग A व B दिये जावें और उसके प्रत्येक भाग में कॉलमों को नम्बर दिये जावें ।

7. अभिलेखागार के कमरे रेकों व रेकों के भाग, भाग में स्थित सभी कॉलमों को नम्बर देते समय यह ध्यान रखा जावें कि दिये गये नम्बर सदृष्य स्थान पर होकर स्पष्ट दिखाई दे ।
8. अभिलेखागार में अभिलेख रखने हेतु जो नम्बर कमरा, रेक, रेक के भाग, कॉलमों को दिये गये है, वे इस प्रकार होंगे कि यदि कमरा एक ही है, तो कमरा नम्बर 1 रेक नम्बर 1, भाग– A कॉलम नम्बर– 1, बस्ता नम्बर– 1 है, तो माना कि ग्राम पुष्कर की जमबान्दी चौसाला सम्वत् 2009 से 2012 को सूची में पहला रिकॉर्ड दर्ज है, तो इसका रखने का, स्थान यह होगा '' 1/1A/1/1'' होगा । नीचे बिन्दु संख्या 9 में उदाहरण देखिये ।
9. तहसील में जब अभिलेख ग्रामवार, वर्षवार (सम्वतवार) जमा किया गया हो तो एक रजिस्टर में निम्न प्रारूप तैयार किया जाकर उसमें अभिलेख दर्ज किया जावें ।

''आधुनिक अभिलेखागार में अभिलेख दर्ज करने खोजने, की व्यवस्था पंजिका''

तहसील–पुष्कर

अभिलेख का विवरण						अभिलेख रखने का स्थान					
क्र. सं.	ग्राम का नाम	पं. सं. का नाम	भू.अ. नि. का नाम	अभिलेख का नम्बर/वर्ष/संवत्	अभिलेख का नाम	कमरा नम्बर	अलमारी रेक नम्बर	अलमारी रेक का भाग	अलमारी रेक के कॉलम नम्बर	बस्ता नम्बर	यदि अभिलेख बाहर भेजा गया तो अधिकारी का नाम व पद/अभिकर्ता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	पुष्कर	पुष्कर	पुष्कर	संवत् 2009 से 2012	जमाबन्दी चौसाला	1	1	A	1	1	

10. तहसील के समस्त अधिकार अभिलेख (लीगेसी रिकॉर्ड) को बस्तों में संतुलित वजन के आधार रखा जाकर बस्तों में रखा जावें। प्रत्येक ग्राम के लिऐ बस्ता/ बस्ते पृथक हो, एक बस्ते में दो ग्रामों का अभिलेख नहीं रखा जावें ।
11. तहसील के सभी ग्रामों के अभिलेख को बस्तों में रखा जाकर बस्ता नम्बर 1 से लगातार बढते हुए क्रम में नम्बर दिये जाने हैं ।
12. अभिलेखागार में रखे जाने वाले अभिलेख के प्रत्येक बस्ते पर उसका ''बस्ता परिचय–पत्र'' तैयार किया जाकर लगाया जाना होगा । ''बस्ता परिचय पत्र'' का प्रारूप इस प्रकार है ।

बस्ता परिचय– पत्र

कार्यालय का नाम ....

1. बस्ता नम्बर .... 2. अभिलेख का नाम ....
3. संवत्/ वर्ष .... 4. ग्राम का नाम ....
5. पं.स. का नाम .... 6. भू.अ.नि. वृत्त ....
7. बस्ता रखने का स्थान ....

13. अभिलेखागार में लीगेसी अभिलेख के अतिरिक्त जो अभिलेख है, उसे भी ग्रामवार, पटवार मण्डलवार एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृतवार तैयार किया जाकर अभिलेखागार, कक्ष में उपलब्ध रेकों में कॉलमवार रखा जावे, जिसमें प्रक्रिया लीगेसी अभिलेख रखने जेसी ही हो ।
14. अभिलेखागार में कौनसा अभिलेख कितने समय तक रहेगा जिसकी प्रकृति स्थायी होगी या अस्थायी, इस हेतु राजस्थान भू–राजस्व (भू.अ.) नियम, 1957 के नियम 48 का पालन किया जावें और किस अभिलेख को कितने समय पश्चात जाया किया जाना है या जिला अभिलेखागार को (सदर कानूनगो को) भिजवाना है, इसके लिए राजस्थान भू–राजस्व (भू.अ.)नियम, 1957 के नियम 221(ख) के अनुसार पालना की जावे।
15. अभिलेखागार में राजस्व ग्रामों के नक्शों को बस्तों में फोल्ड करके नहीं रखा जावें, इन नक्शों को अभिलेख व्यवस्था पंजिका में उसी ग्राम के साथ दर्ज किया जावे जिसमें संबंधित ग्राम का मूल अभिलेख दर्ज है । प्रत्येक ग्राम की सभी नक्शों शीटों को एक बण्डल बनाकर प्लॉस्टिक के चौगे में रखा जावे, जिससे नक्शे क्षत– विक्षत नहीं हो । उसी कॉलम में रखा जावें, जिसमें मूल अभिलेख रखा गया है ।
16. अभिलेखागार में रखे सभी बस्तों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जावे, जिससे अभिलेख के बस्तों में दीमक का प्रकोप नहीं हो सकें ।
17. अभिलेखागार कक्ष की दीवारों पर 5 फिट तक पेंट के साथ एलड्रिन मिलाकर पुताई की जावें । जिससे कक्ष में दीमक नहीं लगे ।
18. अभिलेखागार में अग्निशमन यंत्र लगाया जावें ।
19. अभिलेखागार में नियमितरूप से सफाई की जावें, कचरे को डस्टबिन (कचरा पात्र) में डाला जावे।
20. अभिलेखागार में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हेतु खिडकियां हो, जिसमें क्रोस वेन्टीलेशन भी लगाया हो ।
21. अभिलेखागार में हवा हेतु पर्याप्त पंखे लगाए जाने चाहिये, इसके साथ ही ''एग्जॉस्ट फेन'' भी लगाया जाना चाहिये ।

राजस्थान का काम - कमा रहा है नाम

टीकम बोहरा 'अनजाना'
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद् कोटा

आपदा बड़ी भारी, फैली कोरोना महामारी।
कोरोना प्रबंधन में, राजस्थान ने बाज़ी मारी।।

टीम बनाकर शासन ने, सबको ज़िम्मा दिया।
भरोसा ख़ुद पर था ही, औरों पर भी किया।।
योजना बनाकर अच्छी, ज़मीं पे उसे उतारी।
कोरोना प्रबंधन में, राजस्थान ने बाज़ी मारी।।

हर दिन हालातों की, राज करता रहा समीक्षा।
नित नयी चुनौतियाँ आयी, लेने को परीक्षा।।
सूझबूझ औ हौसले से, बाधाएँ सारी हारी।
कोरोना प्रबंधन में, राजस्थान ने बाज़ी मारी।।

पर पीड़ा समझी राज ने, जिंदा है संवेदना।
मात पिता औ बच्चों की, राज जानता वेदना।।
उनको घर भिजवाने की, की ग़ज़ब तैयारी।
कोरोना प्रबंधन में, राजस्थान ने बाज़ी मारी।।

दिया राशन दूध दाना, ज़रूरतमंद को खाना।
भूखा ना कोई सो पाया, कहे सारा ज़माना।।
किसी को भी महसूस, नहीं होने दी लाचारी।
कोरोना प्रबंधन में, राजस्थान ने बाज़ी मारी।।

कोरोना के पीड़ितों का, ख़ूब कराया इलाज।
ठीक होकर सैंकड़ों लोग, रहते घर में आज।।
सद्प्रयासों से आज भी, है सफलता जारी।
कोरोना प्रबंधन में, राजस्थान ने बाज़ी मारी।।

संकटकाल में खरा उतरा, राजस्थान का शासन।
रणनीति बनाकर किया, चुस्त दुरुस्त प्रशासन।।
उत्तम प्रबंधन राजस्थान का, कहती दुनिया सारी।
कोरोना प्रबंधन में, राजस्थान ने बाज़ी मारी।।

राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./2004/1507/भीलवाड़ा

रामपाली बनाम सरकार

खण्ड पीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :—

श्री वी.एस. राठौड़, अभिभाषक अपीलार्थी

श्रीमती पूनम माथुर, अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय दिनांक :— 17.9.2019

1— यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा—224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3—1—2004 के विरूद्ध पेश की गई है।

2— प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट/वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर, मांडलगढ़ (भीलवाड़ा) में दिनांक 28—5—1996 को राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी (तहसीलदार) मांडलगढ़ के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर—1389 रकबा 7 बीघा वाके ग्राम बिजोलिया का स्वामित्व भैरूसिंह पुत्र किशन जी दरोगा का था और उसका कब्जा काश्त भी था। दिनांक 29—3—1982 को अपीलान्ट/वादिया ने उक्त भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र भैरूसिंह से क्रय कर ली और वह काबिज काश्त हो गयी। वर्तमान में उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई। भूमि बिलानाम दर्ज होने के कारण वादिया को उक्त भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। अतः विवादित भूमि पर वादिया/अपीलान्ट को खातेदार घोषित किया जाये और राजस्थान सरकार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये। जवाबदावा प्राप्त होने पर तनकीयां बनाई गई। साक्ष्य लेने पर विचारण न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, मांडलगढ़ ने उक्त वाद अपने निर्णय दिनांक 4—5—2002 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 3—1—2004 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3—1—2004 से व्यथित होकर यह

द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3— बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा का अपीलाधीन आदेश न्याय, नियम व तथ्यों के विपरीत है। भैरूसिंह को विवादित भूमि आवंटित की गयी थी और 10 वर्ष पश्चात उसे खातेदारी अधिकार स्वतः मिल गये थे और उसने दिनांक 29—3—1982 को अपीलान्ट/वादिया को विवादित भूमि जरिये पंजीकृत बयनामा बेचान कर दी थी एवं उसी दिन कब्जा भी संभलवा दिया था। राजस्व अधिकारियों को चाहिये था कि वादिया के नाम इंतकाल खोला जाता, किन्तु राजस्व अधिकारियों ने उक्त भूमि ''बिलानाम'' सरकार दर्ज कर दी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मांडलगढ़ एवं न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा ने उक्त प्रकरण खारिज कर विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत कार्य किया है। राजस्व अधिकारियों ने उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 27—2—1984 को गलत रूप से निरस्त किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय अपास्त किये जाये।

5— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि भैरूसिंह को भूमि का आबंटन किया गया था। आबंटन की शर्तें पूरी नहीं करने के कारण उसका आबंटन निरस्त कर दिया गया। गैर खातेदारी के दौरान ही उसने उक्त भूमि का बेचान अपीलान्ट को कर दिया जो कि अवैध व शून्य प्रभावी है क्योंकि गैर खातेदार को भूमि बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है। आबंटन निरस्ती के आदेश के विरूद्ध कोई अपील भैरोसिंह/अपीलान्ट ने नहीं की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जो कि विधिसम्मत हैं। अतः अपील खारिज की जाये।

6— हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया गया।

7— पत्रावली में दस्तावेज ई.एक्स.—4 जमाबन्दी संवत 2051—54 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर—1389 रकबा 7 बीघा पर बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है। ई.एक्स.2 जमाबन्दी संवत 2038—41 के अनुसार विवादित भूमि पर श्री भैरूसिंह पिता किशन दरोगा साकिन देह गैर खातेदार संवत 2032 दर्ज है। इसी में इन्तकाल संख्या—663 दिनांक 27—2—1984 द्वारा आबंटन निरस्तीकरण से बिलानाम में दर्ज करने की स्वीकृति हुई, अंकित है।

8— इसी प्रकार स्पष्ट है कि संवत 2032 में भैरूसिंह पुत्र किशन दरोगा को उक्त भूमि आबंटन नियम 1970 के अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ आबंटित हुई और भैरूसिंह को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। आबंटन के 10 वर्षों के पश्चात आबंटन की शर्ते पूरी करने पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं किन्तु उसने दिनांक 29—3—1982 को अर्थात संवत 2039 में उक्त भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र, ई.एक्स.—1 अपीलांट/वादिया को बेचान कर दिया। धारा—42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत गैरखातेदार को भूमि बेचान करने का अधिकार नहीं होने के कारण उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र ई. एक्स.—1 व्यर्थ व शून्य प्रभावी दस्तावेज है।

इस दस्तावेज से अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं।

9— राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा—42 के प्रावधान निम्न प्रकार हैं :—

The sale, gift or bequest by a Dhatedar tenants of his interest in the whole or part of his holding shall be void, if

(b)such sale, gift or bequest is by a number of Scheduled Caste in favour of a person who is not a member of the Scheduled Caste, or by a member of a Scheduled Tribe in favour of a person who in not a member of the Scheduled Tribe.

(bb)shch sale, gift or bequest, not with standing anything contained in clause(b), is by a member of Saharia Scheduled Tribe in favour of a person who is not a member of the said Saharia tribe.

इस प्रकार धारा—42 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि बेचान केवल खातेदार कृषक ही कर सकता है, गैर खातेदार नहीं। चूंकि भैरूसिंह गैर खातेदार था अतः उक्त बेचान व्यर्थ व शून्य प्रभावी है।

10— इन्तकाल संख्या—663 दिनांक 27—2—1984 की प्रति पत्रावली में संलग्न है जो ई. एक्स.—3 है, में अंकित है।'' आबंटन निरस्ती आदेश पालनार्थ'' और भूमि बिलानाम सरकार दर्ज हो गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आबंटन की शर्तों की पालना नहीं करने पर नियम—14(4) के तहत आबंटन निरस्त कर दिया गया और भूमि बिलानाम सिवायचक दर्ज कर दी गयी है जो विधिसम्मत है। अपीलान्ट अथवा भैरूसिंह ने उक्त आदेश के विरूद्ध कहीं कोई अपील किसी राजस्व न्यायालय में की हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इसलिये अपीलान्ट/वादिया का यह कथन कि राजस्व कर्मचारियों ने विवादित भूमि त्रुटिवश 'बिलानाम सरकार' दर्ज कर दी, सही नहीं है।

11— विचारण न्यायालय ने तनकीयां बनाकर साक्ष्य ग्रहण कर तनकीवार निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने समस्त दस्तावेजों व मौखिक साक्ष्य का विश्लेषण कर दिनांक 3—1—2004 को विस्तृत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता हम उचित नहीं समझते हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। अपीलान्ट ने अपील में कोई सारभूत तथ्य प्रकट नहीं किये हैं जिसके कारण अपील स्वीकार की जा सके।

12— फलतः यह द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील / एल आर / 4176 / 2019 / अजमेर

रामबाबू कसाना पुत्र श्री रामनारायण कसाना

अपीलार्थी

बनाम

श्री मोड सिंह पुत्र श्री सुजान सिंह व अन्य

प्रत्यर्थीगण

एकल पीठ
श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य

उपस्थित
श्री उमेश कुमार अभिभाषक अपीलार्थी
श्री शशिकान्त जोशी अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय दिनांक: 21.11.2019

1. यह अपील सम्भागीय आयुक्त अजमेर के निर्णय दिनांक 19–7–2019 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 2–4–2008 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा केसर सिंह पुत्र सुजान सिंह के पक्ष में तस्दीक किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजमेर के समक्ष पेंश होने पर उनके द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16–6–2008 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1491को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार किशनगढ को प्रतिप्रेषित किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 16–6–2008 के विरूद्ध केसर सिंह द्वारा द्वितीय अपील सम्भागीय आयुक्त अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 11–5–2018 से अपील स्वीकार कर प्रश्नगत नामान्तरकरण को प्रारम्भ से ही विवादित नामान्तरकरण की श्रेणी में मानते हुये इसकी प्रथम अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार निदेशक भू अभिलेख अर्थात सम्भागीय आयुक्त को होने से प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 16–6–2008 को निरस्त कर दिया। प्रश्नगत नामान्तरकरण से व्यथित होने के कारण और न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार तय हो जाने से प्रत्यर्थीगण की ओर से अपील सम्भागीय आयुक्त अजमेर के न्यायालय में पेश की गई। जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 19–7–2019 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार किशनगढ द्वारा नामान्तरकरण संख्या

1491 दिनांक 2–4–08 को विधि विरूद्ध मानते हुये निरस्त कर दिया और तहसीलदार किशनगढ को आदेशित किया कि प्रश्नगत आराजी का विरासतन नामान्तरकरण प्रत्यर्थीगण 1 लगायत 5 पुत्रगण सुजान सिंह (पुत्र स्व.धूल सिंह) का नाम बतौर विरासतन राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे। सम्भागीय आयुक्त के उक्त निर्णय दिनांक 19–7–2019 से व्यथित होकर यह अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषकगण ने लिखित बहस पेश की जिसमें कथन किया कि नामान्तरकरण की कार्यवाही अथवा अपील में स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रश्नगत आराजी बाबत उदघोषणा का वाद सक्षम न्यायालय में पेश किया गया है जिसकी अपील सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। वाद विचाराधीन के दौरान अपील में हक अधिकार स्वत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तहत न्यायालय के समक्ष यह तथ्य सिद्ध हों गयें थे कि जमाबन्दी अधिकार अभिलेख में खातेदार सुजान सिंह वल्द हरनाथ सिंह है जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 के पिता/दादा सुजान सिंह पुत्र धूल सिंह हैं। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या1 लगायत 5 के पूर्वाधिकारी को राजस्व रेकार्ड में नाम नहीं होने पर भी तहत न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 को वारिस मानकर धारा 76 के तहत अपील स्वीकार की गई है जो विधि विरूद्ध है। प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 सुजानसिंह पुत्र धूल सिंह के वारिसान हैं जबकि राजस्व रेकार्ड में सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह जो प्रत्यर्थी संख्या 7 लगायत 17 के पूर्वाधिकारी केसर सिंह पुत्र सुजान सिंह वास्तविक वारिस होने पर तहसीलदार किशनगढ के द्वारा विरासत नामान्तरकरण धारा 135(2) के तहत विधिवत सुनवाई कर पारित किये गये हैं एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजमेर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया गया था। उनका तर्क है कि किसी खातेदार की वल्दियत गलत अंकित की गई है तो धारा 136 भू राजस्व अधिनियम एवं धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिये था। प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 के दादा का नाम धूल सिंह है जो मृतक खातेदार सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह से किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध नहीं रखते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को बिना किसी आधार से प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 को वारिस मानकर आक्षेपित आदेश पारित किया है जो सम्पूर्ण कार्यवाही विधि की दृष्टि से दूषित है। इस बिन्दु का निर्धारण घोषणात्मक वाद के जरिये ही किया जा सकता है। इस बाबत राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है। औपचारिक प्रत्यर्थी संख्या 7 लगायत17 के पूर्वाधिकारी केसर सिंह पुत्र सुजान सिंह का अधिकार अभिलेख में नामान्तरकरण स्वीकृत होने के बाद अपीलार्थी द्वारा दिनांक 5–4–2008को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पर खरीद कर मौके पर काबिज चले आ रहे हैं। अपीलार्थी को तहत न्यायालय द्वारा अपील प्रस्तुत करने के पश्चात जो नोटिस जारी किया गया है उसकी विधिवत तामील नहीं हुई थी एवं जो अखबार साया करवाया गया था वह स्थानीय अजमेर

जिलेके अखबार में नोटिस सारया करवाया गया था जबकि अपीलार्थी जयपुर जिला का अधिवासी है। आदेश 5 जाब्ता दीवानी के तहत विधिवत तामील नहीं होकर गलत तरीके से अखबार साया करवाकर तामील के विधिवत नियमों की अनदेखी कर एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। अपने कथन के समर्थन में डी एन जे 2019 एस सी पेज 65, 2019(2) सी जे सिविल एस सी पेज655, आर आर टी 2014–2015 पेज 411,459, आर आर टी 2017(2)पेज 1348,1355, आर बी जे 2012 पेज24, आर बी जे 2009 पेज 428, आर बी जे 2017 पेज 130 की नजीरें पेश करते हुये अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि धूल सिंह पुत्र किशन सिंह की मृत्यु उनके दोनों पुत्रों सुजान सिंह व नाथू सिंह के जन्म के उपरान्त जल्दी हो गई थी। इस कारण उनका लालन पालन चाचा हरनाथ सिंह ने किया। गावं में एवं साधारण बोलचाल में इन्हें हरनाथ सिंह क पुत्र समझने लगे। उक्त बोलचाल के कारण सुजान सिंह के नाम अभिलिखित खातेदारी आराजी में राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से सुजान सिंह के पिता का नाम हरनाथ सिंह अंकित कर दिया। उक्त तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि मोड सिंह पुत्र सुजान सिंह द्वारा विवादग्रस्त आराजी के बाबत नो डयूज लेने बाबत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 6–2–84 को तहसीलदार किशनगढ के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने पटवारी को प्रेषित किया। सम्बन्धित पटवारी हल्का किश्नगढ के समक्ष उक्त मूल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिनांक 6–2–84 को अंकित करते हुये पुनः तहसीलदार को प्रेषित कर दी। उक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रत्यर्थीगण के पिता सुजान सिंह की अभिलिखित आराजी है एवं सुजान सिंह की वल्दियत राजस्व अभिलेख में धूल सिंह अथवा सहवन से हरनाथ सिंह अंकित कर दिये जाने से वादग्रस्त आराजी प्रत्यर्थीगण के पिता सुजान सिंह के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति की नहीं हो जाती है और न ही उक्त लिपिकीय त्रुटि से खातेदारी अधिकार समाप्त होते हैं।

6. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी का तर्क है कि वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार सुजान सिंह पुत्र धूल सिंह का राजस्व रेकार्ड में सहवन से सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह हो गया था उनकी मृत्यु के उपरान्त एक अन्य व्यक्ति केसर सिंह ने स्वयं को सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह का पुत्र कथित करते हुये तहसीलदार किशनगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 26–3–2008 को प्रत्यर्थीगण के पीठ पीछे प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी स्वयं के नाम दर्ज करने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में केसर सिंह ने ग्राम पंचायत खोरी द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र, पंजीकृत मृत्यु प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या 549 दिनांक 20–3–2008, बहक सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह (मृत्यु दिनांक 27–8–86) एवं स्वयं का शपथ पत्र तथा वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये। तहसीलदार किशनगढ ने जांच हेतु प्रकरण पटवारी को प्रेषित कर दिया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार ने पटवारी हल्का को आदेश पारित किये कि मुताबिक प्रमाणित सजरा

शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही कर पालना करें। तहसीलदार ने नामान्तरकरण संख्या 1491 को अपने आदेश दिनांक 2–4–200 से स्वीकृत कर दिया। फर्जी दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करवाने के कारण केसर सिंह के विरूद्ध मोड सिंह द्वारा सक्षम आपराधिक न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी किशनगढ में दिनांक 19–4–2008 को एक इस्तगासा संख्या 30/2008 दर्ज करवाया गया जिसकी अनुपालना में एफ आई आर संख्या71/2008 दर्ज की जाकर केसर सिंह के विरूद्ध चार्जसीट संख्या 165/2008 में भारतीय दण्ड संहिता की धारायें 419, 420, 467,468,193 के तहत चालान प्रस्तुत हुआ और केसर सिंह गिरफ्तार भी हुआ किन्तु दौराने प्रकरण अभियुक्त केसर सिंह की मृत्यु हो जाने से उक्त प्रकरण दिनांक 29–11–2012 को फैसल शुमार कर दिया गया। इसलिये विद्वान सम्भागीय आयुक्त का निर्णय तथ्यों के अनुकूल एवं विधिसम्मत है। इसलिये अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

8. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का मुख्य तर्क है कि अपीलार्थी को तहत न्यायालय द्वारा अपील प्रस्तुत करने के पश्चात जो नोटिस जारी किया गया है उसकी विधिवत तामील नहीं हुई थी। इस परिप्रेक्ष्य में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया तो हम पाते हैं कि अपीलार्थी को जारी नोटिस की पुश्त पर यह अंकित है कि''रामबाबू कसाना पुत्र श्री रामनारायण कसाना जाति गूर्जर निवासी ग्राम नासनोदा घर पर गया जो जयपुर जाना बताया,जो भाई से फौन पर बात कर एक प्रति प्राप्त कर लिया जो भाई से तामील करवाई जो संयुक्त परिवार में रहते बताया।''दिनांक 27–12–2018की आदेशिका में बाबजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारणउसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। इसलिये अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य नहीं है कि अपीलार्थी को नोटिस की तामील नहीं हुई। जहां तक नियमित वाद सक्षम न्यायालय में लम्बित होने का प्रश्न है विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत वाद को आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत खारिज किया गया है जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में लम्बित है। विचारण न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह सम्भागीय आयुक्त अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–7–2019 के बाद अपने बचाव में पेश किया जाना प्रतीत होता है। अपीलीय न्यायालय में जो अपील पेश की गई है उसमें यही कथन किया गया है कि उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है। जब बेचान करने वाले व्यक्ति को ही कोई बेचान बाबत अधिकार प्राप्त नहीं थे तो उसके आधार पर क्रेता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिये अपीलार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय में दावा लम्बित

होने या अपीलीय न्यायालय में अपील लम्बित होने के कारण वर्तमान प्रकरण पर कोई फर्क नहीं पडता है।

9. विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा केसर सिंह के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 2–4–2008 स्वीकृत किया गया था। तहसीलदार किशनगढ के समक्ष स्व. केसर सिंह द्वारा दिनाक 26–3–2008को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर न तो ग्राम का नाम अंकित है न ही खसरा नम्बर अंकित है, जिस पर तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये स्व. केसर सिंह के नाम प्रश्नगत नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र में स्वयं की आयु 70वर्ष अंकित की गई है जबकि ग्राम पंचायत खोरी द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र में उसकी आयु 82 वर्ष होना सन्देह प्रकट करता है। ग्राम खोरी की जमाबन्दी सम्बत 2025–28 में मृतक सुजान सिंह के वारिस में प्रत्यर्थीगण के अतिरिक्त श्री गणपत सिंह का नाम भी दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्बत 2013–16 में मृतक सुजान सिंह के पिता का नाम श्री तेज सिंह दर्ज है तथा पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की भाग संख्या47 ग्राम खोरी की निर्वाचक नामावली में भी मृतक सुजान सिंह के पिता का नाम तेज सिंह तथा केसर सिंह व गणपत सिंह पुत्र के रूप में दर्ज हैं।

10. स्व.केसर सिंह द्वारा वादग्रस्त आराजी को हडपने हेतु फर्जी दस्तावेज सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह की वल्दियत वाले बनाये गये। जिसमें से उसके द्वारा बनाया गया मृत्यु प्रमाण पत्र विस्तृत जांच के बाद उप जिला अजमेर द्वारा निरस्त किया जा चुका था। उक्त आदेश की सूचना सम्बन्धित विभाग व तहसीलदार किशनगढ तथा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिकारी एवं ग्राम पंचायत खोरी को भी दी जा चुकी थी। उक्त आदेश की सूचना ग्राम पंचायत खोरी को होने पर उन्होंने केसर सिंह को जारी किया गया सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 26–3–2008 बाबत पुनः समीक्षा हेतु ग्राम पंचायत की विशेष बैठक दिनांक 28–4–2008 को बुलाई गई और सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या 2 पारित करते हुये उक्त सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 26–3–2008 को निरस्त कर दिया। जिसकी सूचना ग्राम पंचायत खोरी ने जरिये अभिभाषक सार्वजनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति अजमेर के संस्करण में दिनांक 3–5–2008 को पृष्ठ संख्या 16 पर विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रदान कर दी। उक्त समस्त की गई कार्यवाही के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई चाराजोही केसर सिंह द्वारा की गई हो,ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्व.केसर सिंह एवं उनके वारिसान ग्राम खेारी पंचायत समिति पीसांगन तहसील पुष्कर के निवासी हैं जबकि विवादग्रस्त आराजी मदनगंज किशनगढ़ में स्थित है। जिसके मूल रेकार्डेड खातेदार सुजान सिंह पुत्र धूल सिंह जाति राजपूत निवासी किशनगढ़ थे। प्रत्यर्थी एक ही परिवार के सदस्य होकर उनके पूर्वज सुजान सिंह पुत्र धूल सिंह के विधिक वारिसान हैं।

11. फर्जी दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने के कारण केसर सिंह के

विरूद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा सक्षम आपराधिक न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट(प्रथम श्रेणी) किशनगढ में दिनांक 19–4–2008 को एक इस्तगासा संख्या 30/2008 दर्ज करवाया गया। जिसकी अनुपालना में एफ आई आर संख्या 71/2008 दर्ज की जाकर केसर सिंह के विरूद्ध चार्जसीट संख्या 165/2008 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419,420,467,468,193 के तहत चालान प्रस्तुत हुआ और केसर सिंह गिरफतार भी हुआ किन्तु दौराने प्रकरण अभियुक्त केसर सिंह की मृत्यु हो जाने से उक्त प्रकरण दिनांक 29–11–2012 को फैसल शुमार कर दिया गया। हम यहां पर यह भी स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि केसर सिंह का वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार सुजान सिंह पुत्र हरनाथ सिंह से कोई भी सम्बन्ध उक्त खातेदारान अथवा इस परिवार से नहीं है तथा केसर सिंह विवादित आराजी के मूल खातेदार सुजान सिंह का किसी भी श्रेणी का वारिस नहीं है। अपीलार्थी ने स्वयं को सदभावी केता बताया है और इस बाबत न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये जिनका ससम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि केसर सिंह से कय करने का ही मुख्य आधार लिया है, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट जाहिर होता है कि केसर सिंह का वादग्रस्त आराजी के खातेदार सुजान सिंह से किसी प्रकार का कोई सम्बन्धही स्थापित नहीं हुआ और न ही वह उसका वंशज है। बल्कि उसे आपराधिक प्रकरण में जुर्म प्रमाणित मानते हुये उसके विरूद्ध फौजदारी प्रकरण में आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। जब केसर सिंह को इस भूमि को विकय करने का विधि अनुसार अधिकार ही प्राप्त नहीं था तो उसने यदि किसी व्यक्ति को भूमि धोखे से विकय की है तो ऐसा विकय प्रारम्भ से ही शून्य था जिसको सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार किशनगढ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1491 दिनांक 2–4–2008 को निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है और सुजान सिंह के वारिसान का नाम बतौर विरासतन राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है।

12. उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / टीए / 2876 / 2020 / नागौर

ग्राम पंचायत निमोद जरिये सरपंच श्रीमती कमलादेवी पत्नी भूराराम

...प्रार्थी

बनाम

हरजीराम पुत्र रेखा जाति जाट व अन्य

...अप्रार्थीगण

एकल पीठ

श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य

उपस्थितः—

श्री अनिल शर्मा, वकील प्रार्थी की ओर से।

श्री शशिकान्त जोशी, वकील अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक : 29.9.2020

1— यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, आदेश दिनांक 7—8—2020 जो की न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 14 / 2020 में पारित किया गया है, के विरूद्ध पेश की गई है।

2— निगरानी के संक्षेप में तथ्य निगरानी में वर्णित तथ्यों के अनुसार इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने एक वाद विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 2 से 9 के प्रस्तुत किया जिसमें विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना द्वारा दिनांक 29—6—2020 को निर्णय पारित करते हुए आम कटाणी रास्ता खसरा संख्या 377 को अपास्त कर दिया। दिनांक 31—7—2020 को नकल खतौनी व नक्शा ट्रेस लेने पर वादी / अप्रार्थी संख्या 1 को गलत कटाणी रास्ता अंकित करना का ज्ञान हुआ और उसने एक वाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना द्वारा दिनांक 31—7—2020 से स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध वर्तमान प्रार्थी द्वारा एक अपील अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 5—8—2020 को प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी को स्वीकार करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णीत करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे

दिनांक 7–8–2020 को दर्ज रजिस्टर करते हुए यह अंकित कर दिया कि सहायक कलक्टर, डीडवाना द्वारा दिनांक 29–6–2020 से विवादित रास्ता को माठ के सहारे सहारे तरमीम करें तथा खसरा संख्या 319, 377 व 461 की उभय पक्षों को मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति दिनांक 5–10–2020 तक बनाये रखने के आदेश पारित कर दिये जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– मैंने पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी।

4– वकील प्रार्थी ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि नजरसानी प्रकरणों में किसी भी प्रकार का एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किये जाने के प्रावधान नहीं है। उनका यह भी कथन है कि आदेश दिनांक 29–6–2020 वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा विचारण न्यायालय से एकपक्षीय रूप से प्राप्त किया गया था जिसमें वर्तमान प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया था। विवादित आराजी खसरा संख्या 377 गैर मुमकिन रास्ता है जिसमें किसी भी व्यक्ति को खातेदार अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं तथा ख.न. 319 व 461 जो नया मार्ग कायम किया गया है उसमें कई मोड़ हैं तथा मार्ग निर्धारण से पूर्व आवश्यक पक्षकार ग्राम पंचायत को पक्षकार ही नहीं बनाया गया। वकील प्रार्थी का यह भी कथन है कि नजरसानी का क्षेत्राधिकार सीमित है जिसमें केवल लिपिकीय त्रुटि ही दुरूस्त की जा सकती है। अन्त में वकील प्रार्थी ने निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5– वकील प्रार्थी के कथनों के प्रत्युत्तर में वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एक अंतरिम आदेश है जिसकी निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं है। वकील अप्रार्थीगण का यह भी कथन है कि वर्तमान प्रार्थी का विवादित आराजी से कोई लेना देना नहीं है और दिनांक 5–8–2020 को पारित आदेश एकतरफा आदेश था जिसे नजरसानी के स्तर पर सुना जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी के समक्ष वैकल्पिक उपचार मौजूद है वे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते है। अन्त में वकील अप्रार्थीगण ने निगरानी मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

6– मैंने पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7– अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 05.8.2020 में यह माना कि खतौनी सम्वत् 2073 के अनुसार खसरा संख्या 377 रकबा 0.7900 है. गै.मु. रास्ते की भूमि अंकित है तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में भी उक्त खसरा स. 377 की भूमि को आम रास्ता माना है। उक्त आदेश एक पक्षीय पारित करते हुए ACM डीडवाना के आदेश दिनांक 31.7.2020 प्रकरण स. 72/2020 को अपास्त कर प्रकरण में उभयपक्ष की सुनवाई कर पुनः निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया। इसके दो दिन बाद ही 7.8.2020 को पुनरीक्षण आवेदन पर निर्णय करते हुए मौजा खातिड़ा की ढाणी तहसील डीडवाना के खेत ख. स. 319, 377 व 461 की उभयपक्ष मौके व राजस्व रेकार्ड की आगामी पेशी तक बनाये रखने के आदेश दिये। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय

ने उक्त दोनों ही आदेश एक पक्षीय किये। दिनांक 5.8.2020 का आदेश विधिक रुप से त्रुटिपूर्ण है क्योंकि धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील का अंतिम निस्तारण प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना किया गया था। दिनांक 7.8. 2020 को प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र पर फिर से एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए उक्तानुसार यथास्थिति का आदेश पारित किया।

8— अतः हम यह उचित समझते है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर को यह हिदायत दी जावे कि न्यायिक प्रकरणों के निस्तारण में विधिक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे।

9— इस प्रकरण में ख.न. 377 पर अतिक्रमण का दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। जिसके बाद सहायक कलेक्टर नागौर के द्वारा ख.न. 377 के स्थान पर ख.सं. 319 व 461 में से मार्गाधिकार परिवर्तित करने के आदेश दिये एवं नक्शे में तरमीम भी कर दी गई। यह तथ्य दस्तावेजात से स्थापित है कि ख.न. 377 गै.मु. रास्ते की भूमि है जिसमें से दो गांवो के बीच रास्ता प्रचलित रहा है। यह भी तथ्य है कि प्रासंगिक प्रकरण में खातेदार की भूमि के मध्य में से रास्ता कायम होने से उसकी खातेदारी दो भागों में विभाजित हो जाती है। अतः यदि प्रचलित मार्ग को खेत की माठ के सहारे किया जाता है तथा इससे मार्ग के सुखाचार का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को आपत्ति न हो तथा आवागमन सुगम होता है तो इस प्रकार रास्ते के विवाद का निस्तारण किया जाना विधिसम्मत है किन्तु इस प्रकरण में जो ख.न. 461 में मार्ग कायम किया गया है उसमें पूर्व के ख.न. 377 के सीधे मार्ग की तुलना में तीन मोड़ हैं। यह भी तथ्य ध्यान में लाया गया है कि गै.मु. रास्ते का विवाद निस्तारण करने से पूर्व ग्राम पंचायत को सुना ही नहीं गया। चूंकि रास्ता सार्वजनिक उपयोग के लिये है अतः केवल खातेदारों की सहमति पर्याप्त नहीं है। अतः परीक्षण न्यायालय का आदेश दिनांक 31.7.2020 तथा अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 5.8.2020 व 7.8.2020 विधिसम्मत नहीं पाये जाने से निरस्त किये जाते है।

10— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रास्ते से संबंधित प्रकरण में आवश्यक पक्षकार ग्राम पंचायत को सुनवाई का अवसर देकर गै.मु. रास्ते के संबंध में नये सिरे से निर्णय पारित करे तथा यह सुनिश्चित करे कि जिन दो गांवो के निवासियों द्वारा मार्ग का उपयोग किया जाता है उसमें नये मार्ग निर्धारण से किसी को भी आवागमन में असुविधा न हो।

11— ग्राम पंचायत भी परीक्षण न्यायालय में गै.मु. रास्ते के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करे तथा अंतिम निस्तारण तक कोई भी पक्ष ख.न. 377, 319 व 461 में नव निर्माण/स्थाई संरचना नहीं करे तथा मौके की स्थिति यथावत बनायें रखे।

12— पक्षकारान दिनांक 15.10.2020 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हो तथा परीक्षण न्यायालय सभी प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई कर 2 माह में प्रकरण का निस्तारण करे।

निर्णय सुनाया गया।

(महेन्द्र कुमार पारख)
सदस्य

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / एल.आर. / 6696 / 2018 / जयपुर

पप्पुराम जाजरोरिया बनाम सरकार व अन्य

एकल पीठ

श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–

श्री उमेश कुमार, अभिभाषक अपीलांट

श्री लोकेन्द्र सिंह, उप राजकीय अभि.रेस्पो.सं.1

श्री जयपाल चावला, अभिभाषक रेस्पो.सं.2

निर्णय दिनांकः 03.03.2020

यह अपील संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा प्रकरण सं. 6 / 2018 में पारित निर्णय दिनांक 11–6–2018 के विरूद्ध धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी / अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र विरासतन नामान्तरण खुलवाने हेतु उप तहसीलदार कालवाड के समक्ष यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि स्व0 बोदूराम पुत्र हरदेव निवासी ग्राम मुकुन्दपुरा तहसील व जिला जयपुर की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 140 रकबा 48 बीघा 5 बिस्वा में हिस्सा 1 / 4 खातेदारी में दर्ज है। बोदूराम का स्वर्गवास दिनांक 26–6–2003 को हो गया है बोदूराम के पश्चात प्रार्थी उनका एक मात्र दत्तक पुत्र एवं प्रार्थी की माता श्रीमती सोनी देवी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं अतः प्रार्थी व उसकी माता श्रीमती सोनी देवी के नाम फौती नामान्तरकरण खोला जावे। बाद सुनवाई उप तहसीलदार कालवाड ने दिनांक 4–12–2017 को श्रीमती सोनी देवी के हक में नामान्तरकरण खोलने का आदेश पारित कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष पेश की, जो आक्षेपित निर्णय दिनांक 11–6–2018 द्वारा खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। उनका बहस में आगे कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने मात्र गोदनामे को आधार मानते हुए निर्णय पारित किया है, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट था कि प्रार्थी / अपीलांट को बोदूराम ने अपने जीवनकाल में ही सामाजिक रीति रिवाज अनुसार रस्म अदा कर गोद ले लिया था जिसके आधार पर प्रार्थी / अपीलांट के सभी दस्तावेजों में पिता का नाम बोदूराम ही अंकित है एवं पत्रावली पर उपलब्ध गवाहान की सह शपथ पत्र साक्ष्य से भी यही साबित है कि अपीलांट को

बोदूराम ने अपने जीवनकाल में ही गोद लेकर उसका बचपन से पालन पोषण व शिक्षा आदि कार्य पूर्ण किये। फिर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय अपने आप में विरोधाभाषी हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालयों ने निर्णय पारित करते समय गोदनामे को मात्र उसकी पंजीयन की तारीख की हद तक आधार माना है कि उक्त गोदनामा के अनुसार प्रार्थी को बोदूराम की पत्नी सोनी देवी ने गोद लिया है जबकि उक्त गोदनामे में यह भी अंकित है कि प्रार्थी को बोदूराम ने अपने जीवनकाल में ही गोद लेकर उसका पालन पोषण किया है। इसलिये दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने गोदनामे के एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किये हैं जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी दस्तावेज को आधे को ध्यान रख कर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसा निर्णय उस दस्तावेज के आधार पर विरोधाभाषी निर्णय की परिभाषा में आता है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावे तथा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उसके पक्ष में नामान्तरण खोले जाने के आदेश प्रदान किये जावे। विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों को विधि सम्मत बताते हुए निगरानी खारिज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अपीलांट के अधिवक्ता के तर्को का समर्थन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

चूंकि वादग्रस्त आराजी स्वर्गीय बोदूराम पुत्र हरदेव निवासी ग्राम मुकुन्दपुरा तहसील व जिला जयपुर की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 140 रकबा 48 बीघा 5 बिस्वा में हिस्सा 1/4 खातेदारी में दर्ज है। बोदूराम का स्वर्गवास दिनांक 26–6–2003 को हो गया और बोदूराम के पश्चात रेस्पोडेन्ट सोनी देवी एकमात्र उसकी वारिस है। गोदनामा के संबंध में उप तहसीलदार कालवाड में अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि ''प्रार्थी द्वारा लगभग 14 वर्ष पश्चात् नामान्तरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया श्री बोदुराम की मृत्यु तक प्रार्थी पप्पूराम जाजोरिया का गोदनामा नहीं करवाया गया। बोदूराम की मृत्यु के 14वर्षो पश्चात गोदनामा करवाया गया जिसमें गोद गृहिता सोनी देवी एवं गोद दात्री सेकूरी देवी है। अतः पप्पूराम जाजोरिया गोदनामा अनुसार श्रीमती सोनी देवी का दत्तक पुत्र एवं उत्तराधिकारी हुआ अतः हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार स्व.बोदूराम की पत्नि सोनी देवी प्राकृतिक वारिस होगी।'' ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट सोनी देवी के नाम भूमि दर्ज किये जाने का जो आदेश उप तहसीलदार कालवाड ने पारित किया है, वह पूर्णतः विधि अनुकूल है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय के निर्णय से सहमति दर्शाते हुए अपीलांट की अपील को खारिज किया है, जो विधि सम्मत है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा AIR 1990 SC 1153 Dina ji and others V. Daddi and others में निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है–

"Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956- Adoption- Property already vested prior to adoption- Effect.

Proviso (C) of S. 12 departs from the Hindi General Law and makes it clear that the adopted child shall not divest any person of any estate which has vested in him or her before the adoption. It is clear that in the present case, the widow who was the limited owner of the property after the death of her husband and after Hindu Succession Act came into force, has became an absolute owner and therefore, the property of her husband vested in her and therefore, merely by adopting a child, she could not be deprived of any of her rights in the property. The adoption would come into play and the adopted child could get the rights for which he is entitled after her death as is clear from the scheme of Section 12, proviso (c)."

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में रेस्पोडेन्ट सोनी देवी के नाम भूमि दर्ज किये जाने का जो आदेश उप तहसीलदार कालवाड ने पारित किया है, वह पूर्णतया विधि समस्त है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–6–2018 एवं 4–12–2017 बहाल रखे जाते हैं। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील / टी.ए. / 2004 / 3819 / सीकर

छीतरमल पुत्र श्री भारमल

.....अपीलान्ट

बनाम

डगल्या उर्फ परमेश्वर उर्फ मूलचन्द उर्फ सांवरमल पुत्र भगवान सहाय व अन्य

.....रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री अशोकनाथ योगी, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री दुनीचन्द, अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्टस

निर्णय दिनांक : 17–10–2019

1– यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–225 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–7–2004 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी / अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा–88, 89 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं विभाजन का विरूद्ध प्रतिवादीगण / रेस्पोन्डेन्टस विद्वान सहायक कलेक्टर, सीकर के न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम दूधवा, तहसील दांतारामगढ में स्थित आराजी खसरा नम्बर–176 रकबा 25 बीघा 18 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर–402 रकबा 4.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–403 रकबा 1.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–404 रकबा 0.95 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 6.29 हैक्टेयर के मूल खातेदार चन्द्रा उर्फ चतरा थे जिनके दो पुत्र मांग्या व भारमल हुये। मांग्या के मदन, मदन के परमेश्वर हुये। इसी तरह भारमल के छीतर व लालचन्द हुये। तदुपरान्त परमेश्वर का देहान्त हो गया। अर्थात मूल खातेदार चन्द्रा उर्फ चतरा के वंश परिवार में मात्र वादी एवं प्रतिवादी शेष रहे एवं दोनों ही शामलाती तौर पर अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते रहे। आगे कथन किया गया कि मूल खातेदार के देहान्त उपरान्त पाटवी पुत्र कर्ता खानदान मांग्या का नाम रिकार्ड में अंकित हो गया। चूंकि खाते में अकेले मांग्या का नाम होने से विरासतन खाता मदन एवं उसके बाद परमेश्वर का नाम आ गया। चूंकि परमेश्वर

का काफी समय पूर्व देहान्त हो जाने के बाद भी खाता मृतक के नाम ही चला आ रहा है। विद्वान सहायक कलेक्टर, सीकर ने वाद दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया, जिस पर प्रतिवादी–रेस्पोन्डेन्ट लालचन्द ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया। जिसमें अंकित किया कि वादग्रस्त आराजीयात पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति है। उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से पर वह काबिज है एवं 1/2 हिस्से पर वादी काबिज है। इसलिये 1/2 हिस्से की भूमि के लिये वादी को खातेदार घोषित करने में अपना एतराज नहीं होना वर्णित किया तथा कथन किया कि खातेदारी अलग अलग दर्ज की जावे। तत्पश्चात विद्वान सहायक कलेक्टर (द्वितीय), सीकर ने पक्षकारान को सुनकर उनके द्वारा प्रस्तुत अभिवचन, शहादत एवं राजीनामे का गहनता से अवलोकन करने एवं वादग्रस्त भूमि को पक्षकारान की पैतृक भूमि साबित होने एवं उक्त पैतृक भूमि के मात्र दो ही वारिस होने और विरासतन प्राप्त करने के अधिकारी होने के कारण अपने निर्णय दिनांक 12–6–2000 के द्वारा वादी / अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री कर दिया। विद्वान सहायक कलेक्टर (द्वितीय), सीकर के उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–6–2000 के विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 ने उसी न्यायालय के समक्ष एक नजरसानी याचिका प्रस्तुत की जिसमें कथन किया कि परमेश्वर को सुना नहीं गया। इस आधार पर विद्वान सहायक कलेक्टर (द्वितीय), सीकर ने दिनांक 6–10–2001 को नजरसानी स्वीकार कर दिनांक 12–6–2000 की डिक्री को निरस्त कर दिया। नजरसानी के निर्णय दिनांक 6–10–2001 के विरूद्ध अपीलान्ट ने विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के यहां अपील प्रस्तुत की। जिसे अपने निर्णय दिनांक 5–3–2003 के द्वारा स्वीकार कर विद्वान सहायक कलेक्टर (द्वितीय), सीकर के निर्णय दिनांक 6–10–2001 को निरस्त कर दिया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 ने विद्वान सहायक कलेक्टर (द्वितीय), सीकर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12–6–2000 के विरूद्ध 3 वर्ष बाद मियाद बाहर एक अपील मय धारा–5 मियाद अधिनियम एवं धारा–96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने अवैधानिक रूप से अपने निर्णय दिनांक 16–7–2004 के द्वारा स्वीकार कर दिनांक 12–6–2000 की डिक्री को निरस्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया। आदेश दिनांक 16–7–2004 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने अपनी अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर का आदेश न्याय, नियम एवं कार्यवाही मिसल के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी कथन है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 जिसने कि प्रथम अपील प्रस्तुत की थी, वह परीक्षण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं था। अधीनस्थ अपील न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों को पूर्णतया दरकिनार करते हुये जो निर्णय पारित किया है वह अविधिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 5–3–2003 के द्वारा जब विद्वान

सहायक कलेक्टर (द्वितीय), सीकर का निर्णय दिनांक 12–6–2000 बहाल हो गया था। अपने ही निर्णय दिनांक 5–3–2003 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने निर्णय दिनांक 16–7–2004 पारित किया है जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के बिल्कुल विपरीत है। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तीन वर्ष मियाद बाहर अपील को अन्दर मियाद शुमार करते हुये जो निर्णय पारित किया है, वह अवधिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ अपील न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू को नजरअंदाज कर दिया कि उनके समक्ष परीक्षण न्यायालय के यहां पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत अभिवचन, राजीनामा, दस्तावेजी एवं मौखिक शहादत के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री की अपील विचाराधीन थी जिसमें उन्हें पक्षकारान के अभिवचनों के दायरे में रहकर निर्णय पारित करना चाहिये था, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं कर अभिवचनों के बाहर जाकर उठाये गये बिन्दुओं का बिना समग्र विश्लेषण किये सरसरी तौर पर अंकित कर उक्त को आधार बनाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित करने में घोर त्रुटि की है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–7–2004 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों में उन्होंने निम्न नजीरें प्रस्तुत की है :–

1– आरआरडी–1989 पेज–292

2– आरआरडी–1990 पेज–669

3– आरबीजे–2002 पेज–163

5– विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टस संख्या–1 ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर का निर्णय विधिसम्मत है। अप्रार्थी संख्या–1 डगल्या उर्फ परमेश्वर के जीवित रहते अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 ने साज–बाज कर विचारण न्यायालय से अपने पक्ष में डिक्री पारित करवा ली जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने उचित रूप से निरस्त कर प्रकरण उभयपक्षों की सुनवाई कर और पूर्ण जांच कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है। अपीलान्ट ने अपील में जो आधार प्रकट किये हैं वे सारहीन है इसलिये अपील खारिज की जाये तथा अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने जो नजीरें पेश की है वे उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है इसलिये उनका कोई महत्व नहीं है।

6– हमने उभयपक्ष पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत की गयी नजीरों का आदर पूर्वक परिशीलन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ई.एक्स–5 जमाबन्दी संवत 2051 में आरजी खसरा नम्बर–402, 403 व 404 किता 3 रकबा 6.29 हैक्टेयर पर परमेश्वर पुत्र मदनलाल नाई साकिन देह दर्ज है। ई.एक्स–3 जमाबन्दी संवत 2027–30 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर–176 रकबा 25 बीघा 13 बिस्वा पर मांग्या पुत्र छीतर कौम नाई साकिन देह दर्ज है और इसी जमाबन्दी में लाल स्याही से नामान्तरकरण संख्या–77 के जरिये मांग्या के बजाय परमेश्वर पुत्र मदनलाल नाई का नाम स्वीकार हुआ अंकित है। ई.

एक्स–4 जमाबन्दी संवत 2035–2038 में भी उक्त अंकन है। आराजी खसरा नम्बर–176 से हाल आराजी खसरा नम्बर–402, 403 व 404 बने हैं। राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राजात के आधार पर यह सिद्ध होता है कि विवादित भूमि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 की पैतृक भूमि थी जो कि विरासत से परमेश्वर के नाम दर्ज हो गयी। यह स्वीकृत तथ्य है कि परमेश्वर लाऔलाद फौत हो गया इसलिये उक्त आराजी भारमल के दोनों पुत्रों छीतरमल व लालचन्द (जो कि परमेश्वर के गोद चला गया) के खाते में आनी चाहिये। विचारण न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर और राजीनामे के आधार पर उक्त वाद डिक्री कर दिया जिसकी प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 के द्वारा की गयी।

8– रेस्पोडेन्ट संख्या–1 डगल्या उर्फ परमेश्वर उर्फ मूलचन्द उर्फ सांवरमल पुत्र भगवान सहाय सैनी का यह कथन है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 ने मिलकर परमेश्वर को मृतक बताकर दावा डिक्री करवा लिया, किन्तु परमेश्वर जीवित है जो कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 है। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने प्रथम अपील स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि पूर्व वाद जो आदेश 9 नियम 9 सीपीसी में खारिज हो गया था इस कारण दूसरा दावा नहीं लाया जा सकता। अप्रार्थी संख्या–2 के परमेश्वर को गोद लाने के तथ्य और उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया।

9– यहां उल्लेख करना समीचीन होगा कि अदम हाजरी व अदम पैरवी में वाद खारिज होने व बंटवारा का वाद होने के कारण पुनः वाद प्रस्तुत करने पर कोई रोक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर निर्णय कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में त्रुटि की है। आरआरडी–1982 पेज–622 में राजस्व मण्डल ने यह अभिमत प्रकट किया जो कि इस प्रकरण पर पूरी तरह चस्पा होता है। चूकि डगल्या उर्फ परमेश्वर उर्फ मूलचन्द उर्फ सांवरमल इस प्रकरण में कोई हित नहीं रखता है और विवादित भूमि से उसका कोई संबंध नहीं है बल्कि फर्जकारी से वह परमेश्वर बनकर प्रथम अपील करता है इसलिये उसकी बात पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मत आरआरडी 1989 पेज–292, आरआरडी 1980 पेज–689 और आरबीजे 2002(9) पेज–163 में राजस्व मण्डल ने प्रकट किया है। विद्वान सहायक कलेक्टर (द्वितीय), सीकर द्वारा नजरसानी में किये गये निर्णय दिनांक 6–10.–2001 के विरूद्ध भी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने खारिज कर दी थी। इस प्रकार राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने रेस्पोन्डेन्ट को सुनकर ही उक्त आदेश पारित किया था। अतः राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर अपने पूर्व आदेश के विरूद्ध कैसे निर्णय प्रदान कर सकते हैं?

10– प्रकरण में विवाद का विषय यह है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 डगल्या उर्फ परमेश्वर उर्फ मूलचन्द उर्फ सांवरमल पुत्र भगवान सहाय जीवित है अथवा कोई अन्य व्यक्ति परमेश्वर बनकर इस प्रकरण में पक्षकार बन गया है। इस संबंध में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश नम्बर–2 सीकर का निर्णय दिनांक 20–12–2000 का अवलोकन करना अति

आवश्यक है। उक्त प्रकरण छीतरमल एवं लालचन्द ने रामलाल नत्थूराम, हनुमान, सांवरमल पुत्र भगवान सहाय जाति नाई (जो कि इस अपील में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 पर अंकित है) तथा परमेश्वर पुत्र मदनलाल के विरूद्ध अवैध विक्रय पत्र दिनांक 27–3–1998 को शून्य घोषित कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने हेतु प्रस्तुत किया था। उक्त निर्णय में तनकी संख्या–1 में अपर जिला न्यायाधीश नम्बर–2 सीकर ने लिखा है कि :–

''मेरी राय में यह विक्रय पत्र वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध, अवैध व निरस्तनीय है। क्योंकि वादीगण परमेश्वर के खानदानी है और उत्तराधिकारी है। वे मदन के चचरे भाई है और उसके वंशज है। यद्यपि वादी ने लालचन्द को परमेश्वर के गोद जाना लिखा है लेकिन यह तथ्य सिद्ध नहीं हो सका है लेकिन यदि लालचन्द को परमेश्वर का दत्तक पुत्र भी नहीं माना जाये तो भी दोनों वादीगण, परमेश्वर, मदन व मांग्या के वंशज है। जैसा कि दोनों पक्षकारों के साक्षियों ने स्वीकार किया है कि मांग्या और भारमल दोनों भाई थे और चन्द्रा के पुत्र थे। वादीगण भारमल के पुत्र है और परमेश्वर मदन का पुत्र था। इस प्रकार वादीगण निश्चित रूप से मृतक परमेश्वर के खानदान में से उसके सहोदर और वंशज है और निश्चित रूप से वे उसके उत्तराधिकारी हैं और उनके मुकाबले जो यह फर्जी विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या–4 सांवरमल पुत्र भगवान सहाय निवासी पिथलपुरा ने जो रामलाल के पक्ष में तस्दीक कराया है वह विधि विरूद्ध है, क्योंकि सांवरमल को विवादित भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। उसने अपने आपको परमेश्वर के रूप में प्रतिरूपित करते हुये फर्जी तरीके से परमेश्वर बनकर यह विक्रय पत्र दिनांक 27–3–1998 को पंजीबद्ध कराया है जो वादीगण के मुकाबले विधि विरूद्ध है, अवैध है और फर्जी है। अतः तनकी नम्बर–1 बहक वादीगण तय किये जाने योग्य है।''

11– इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सांवरमल पुत्र भगवान सहाय परमेश्वर बनकर प्रकरण में पक्षकार बना जिसका विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है। लालचन्द, परमेश्वर के गोद गया अथवा नहीं गया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लालचन्द एवं छीतरमल दोनों भाई हैं और इनके पूर्वज चन्द्रा उर्फ चतरा के वारिस है। दोनों पक्षकार लालचन्द एवं छीतरमल ने राजीनामा कर लिया है तो उसके बाद इसकी कोई गुन्जाईश नहीं है कि उक्त तथ्य की जांच की जाये। विचारण न्यायालय ने डिक्री दोनों पक्षों को सुनकर राजीनामा के आधार पर ही पारित की है जो विधिसम्मत है। राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर का निर्णय विधि के विरूद्ध और तथ्यों के विपरीत है ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है और विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–7–2004 निरस्त किया जाता है तथा सहायक कलेक्टर (द्वितीय), सीकर का निर्णय दिनांक 12–6–2000 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष

जिला कलेक्टर न्यायालयों द्वारा अवधि 01.4.2019 से 31.3.2020 में निस्तारित किये गये राजस्व–प्रकरणों पर मण्डल की वार्षिक समीक्षा।

जिला कलेक्टर न्यायालयों द्वारा अवधि 01.4.2019 से 31.3.2020 में किये गये राजस्व–प्रकरणों के निस्तारण कार्य पर मण्डल की समीक्षा निम्नानुसार है। मण्डल के परिपत्र क्रमांक : प.12(18) राम/निरी /78/975 दिनांक 03.04.2012 के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन (Grading) किया गया हैं–

निर्धारित मापदण्डः–10 अपील/निगरानी एवं 20 विविध प्रकरण प्रतिमाह
वार्षिक 120 अपील/निगरानी एवं 240 विविध प्रकरण त्र 240 अपील/निगरानी

ग्रेडिंग का आधारः

1	मापदण्ड का 100 प्रतिशत निस्तारण या अधिक।	ए+
2	मापदण्ड का 90 प्रतिशत निस्तारण से 100 तक।	ए
3	मापदण्ड का 80 प्रतिशत से 90 निस्तारण तक।	बी+
4	मापदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से 80 तक।	बी
5	मापदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से कम होने पर।	सी

संभाग– अजमेर

क्र.सं.	नाम जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, अजमेर	A+
2	जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा	A+
3	जिला कलेक्टर, नागौर	A+
4	जिला कलेक्टर, टोंक	C

संभाग– भरतपुर

क्र.सं.	नाम जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, भरतपुर	A+
2	जिला कलेक्टर, धौलपुर	A+
3	जिला कलेक्टर, करौली	A+
4	जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर	A+

संभाग– बीकानेर

क्र.सं.	नाम जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, बीकानेर	A+
2	जिला कलेक्टर, चुरू	A+
3	जिला कलेक्टर, गंगानगर	A+
4	जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़	A+

संभाग– जयपुर

क्र.सं.	नाम जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, अलवर	A+
2	जिला कलेक्टर, दौसा	A+
3	जिला कलेक्टर, जयपुर	A+
4	जिला कलेक्टर, झुंझुनूं	A+
5	जिला कलेक्टर, सीकर	A+

संभाग– जोधपुर

क्र.सं.	नाम जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, बाड़मेर	A+
2	जिला कलेक्टर, जैसलमेर	A+
3	जिला कलेक्टर, जालौर	A+
4	जिला कलेक्टर, जोधपुर	A+
5	जिला कलेक्टर, पाली	A+
6	जिला कलेक्टर, सिरोही	B

संभाग– कोटा

क्र.सं.	नाम जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, बारां	A
2	जिला कलेक्टर, बून्दी	A+
3	जिला कलेक्टर, झालावाड़	A+
4	जिला कलेक्टर, कोटा	A+

संभाग– उदयपुर

क्र.सं.	नाम जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा	A+
2	जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़	A+
3	जिला कलेक्टर, डूंगरपुर	A+
4	जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़	A+
5	जिला कलेक्टर, राजसमन्द	A
6	जिला कलेक्टर, उदयपुर	A+

(श्री हरिशंकर गोयल)
सदस्य
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

राज्य के उपखण्ड एवं सहायक कलक्टरों द्वारा वार्षिक अवधि 01.04.2019 से 31.03.2020 तक में निस्तारित किये गये राजस्व प्रकरणों पर मण्डल की समीक्षा।

वार्षिक अवधि 01.04.2019 से 31.03.2020 में राज्य के समस्त उपखण्ड एवं सहायक कलक्टरों द्वारा विधान सभा आम चुनाव 2019 में चुनाव कार्य में व्यस्त रहने के कारण उपखण्ड न्यायालयों को 41 एवं सहायक कलक्टर न्यायालयों को 61 वादो की छूट देकर समीक्षा की गई है।

निर्धारित मापदण्डः—1— उपखण्ड अधिकारी — 15 वाद एवं 15 प्रार्थना पत्र प्रतिमाह
2— सहायक कलक्टर — 20 वाद एवं 30 प्रार्थना पत्र प्रतिमाह
(तीन विविध प्रार्थना पत्रों को एक बहुपक्षीय माना गया है।)

(अ) मानदण्ड का 100% से अधिक—"उत्कृष्ट—ए+"

1. उपखण्ड अधिकारीः— अजमेर, किशनगढ़, रामगढ़, मुण्डावर, तिजारा, बहरोड़, नीमराणा, बाड़मेर, शिव, बायतु, भरतपुर, बयाना, कुम्हेर, पहाड़ी, भीलवाड़ा, माण्डल, माण्डलगढ़, गंगापुर, जहाजपुर, तालेडा, चित्तौडगढ़, राजगढ़, सुजानगढ़, महुवा, सिकराय, रायसिंहनगर, सूरतगढ़, सादुलशहर, पदमपुर, हनुमानगढ़, संगरिया, नोहर, टिब्बी, रावतसर, पीलीबंगा, चाकसू, कोटपूतली, चौमूं, भवानीमण्डी, खानपुर, मनोहरथाना, झुन्झुनू, चिडावा, उदयपुरवाटी, नवलगढ़, मल्सीसर, सूरजगढ़, औसियां, बिलाड़ा, टोडाभीम, रामगंजमण्डी, मेड़ता, जायल, नावां, रियाबडी, जैतारण, बामनवास, नीमकाथाना, लक्ष्मणगढ़, दातारामगढ़, द्योद, खण्डेला, देवली, मालपुरा, टोडारायसिंह, गिर्वा, मावली, गोगुन्दा।

2. सहायक कलक्टर :— शून्य।

(ब) मानदण्ड का 90% से 100% तक—"बहुत अच्छा—ए"

1. उपखण्ड अधिकारीः—बानसूर, बारां, कपासन, रतनगढ़, बिदासर, दौसा, अनूपगढ, खेतड़ी, फलौदी, लूणी, बाज, ईटावा, डीडवाना, डेगाना, राजसमन्द, सीकर।

2. सहायक कलक्टर :— कोटपूतली, फलौदी ।

(स) मानदण्ड का 80% से 90% तक—"अच्छा—बी+"

1. उपखण्ड अधिकारी :— सरवाड़, गढ़ी, छबड़ा, अटरू, रायपुर, खाजूवाला, नोखा, बून्दी, नैनवा, हिण्डोली, निम्बाहेड़ा, करनपुर, भादरा, पीपाड़शहर, भोपालगढ, बलेसरा, नादौती, दीगोद, टोंक।

2. सहायक कलक्टर :— अलवर।

(द) मानदण्ड का 70% से 80% तक—"औसत—बी"

1. उपखण्ड अधिकारी :— ब्यावर, मसूदा, पीसांगन, लक्ष्मणगढ़, कठूमर, कि. बास, कोटकासिम, किशनगंज, गुढामलानी, डीग, बैर, भूसावर, शाहपुरा, गुलाबपुरा, आसींद, बदनोर, श्रीडूंगरगढ़, छत्तरगढ़, के. पाटन, बैगू, चुरू, सरदारशहर, बांदीकुई, घडसाना, जयपुर, जयपुर (द्वितीय), सांभर, ज. रामगढ़, विराटनगर, शाहपुरा, दूदू, भनियाना, झालावाड, शेरगढ़, बावडी, नागौर, परबतसर, लाडनूं, खींवसर, कुचामनसिटी, कुम्भलगढ़, देवगढ़, स. माधोपुर, गंगापुरसिटी, श्रीमाधोपुर, रामगढ़ शेखावाटी, उनियारा, सलूम्बर।

2. सहायक कलक्टर :– कुम्हेर, बीकानेर (मु.), भादरा, कोटपूतली, फलौदी।

(ड) मानदण्ड का 70% से नीचे–"औसत से नीचे–सी"

1. उपखण्ड अधिकारी :– केकड़ी, नसीराबाद, भिनाय, पुष्कर, रूपनगढ, टाटगढ़, अलवर, थानागाजी, राजगढ़, रेणी, घाटोल, कुशलगढ़, बागीदोरा, छोटी सरवन, आनन्दपुरी, सज्जनगढ़, मांगरोल, शाहबाद, छीपाबडोद, अन्ता, बालोतरा, चौहटन, रामसर, सिवाना, सणधरी, सेडवा, धुरीमन्ना, कामां, नदबई, रूपवास, नगर, बनेडा, बिजौलिया, कोटडी, फूल्याकला, हमीरगढ, करेडा, बीकानेर, लूणकरणसर, कोलायत, पूंगल, लाखेरी, गंगरार, रावतभाटा, राश्मी, भदेसर, डूंगला, बड़ीसादडी, भुपालसागर, तारानगर, लालसोट, नागलराजावतान , रामगढ पचवारा, धौलपुर, बाडी, बसेडी, सैंपऊ, सरमथुरा, डूंगरपुर, सांगवाडा, सीमलवाडा, आसपुर, बिछिवाड़ा, गंगानगर, विजयनगर, बस्सी, आमेर, फागी, जैसलमेर, पोकरण, फतेहगढ़, जालौर, आहोर, भीनमाल, रानीवाडा, सांचौर, सायला, बागौडा, जसवन्तपुरा, चितलवाना, अकलेरा, पिडावा, गंगधार, बसनावर, बुहाना, जोधपुर, करौली, हिण्डौन, मण्डरायल, सपोटरा, सांगोद, मकराना, पाली, बाली, सोजत, देसूरी, सुमेरपुर, रोहट, मा. जंक्शन, रायपुर, रानी, नाथद्वारा, भीम, रेलमगरा, आमेट, बोली, खण्डार, चौथ का बरवाडा, मलारना डुंगर, फतेहपुर, सिरोही, आबूपर्वत, रेवदर, पिण्डावा, शिवगंज, निवाई, पीपलू, वल्लभनगर, खैरवाडा, झाडोल, कोटड़ा, लसाडिया, सराड़ा, ऋषभदेव, बडगांव, प्रतापगढ, धरियावाद, अरनोद, छोटीसादडी, पीपलखुंट, वजीरपुर।

2. सहायक कलक्टर :– अजमेर, बहरोड़, बानसूर, बाड़मेर, चौहटन, भरतपुर, नगर, नदबई, उच्चेन, भीलवाड़ा, जहाजपुर, माण्डल, बीकानेर (फाट्रे), बडी सादडी, दौसा, लालसोट, बांदीकुई, धौलपुर, गंगानगर, जयपुर, जयपुर (शहर), आमेर, आमेर (फाट्रे), बस्सी, फागी, सांभर, चौमू, चौमू (फाट्रे), शाहपुरा, दूदू, ज.रामगढ़, सांचोर, उदयपुरवाटी, चिड़ावा, नवलगढ़, जोधपुर, कोटा, ईटावा, करौली, नागौर, जैतारण, स. माधोपुर, गंगापुरसिटी, सीकर, दातारामगढ़, लक्ष्मणगढ़, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, टोंक, निवाई, गिर्वा, वल्लभनगर, मावली।

उपखण्ड अधिकारी सांवला, गलियाकोट, चिकली, वजीरपुर, बडगांव, अरांई, मालाखेडा, गडरारोड, बज्जू, लोहावट का पद नवसृजित/पदरिक्त होने के कारण इनकी समीक्षा नहीं की गई है एवं बांसवाडा, राजाखेड़ा, कोटा, कनवास की समीक्षा अप्राप्त है।

सहायक कलक्टर तिजारा, कठुमर, थानागाजी, मुण्डावर, कि.बास, रामगढ, लक्ष्मणगढ़, कोटकासिम, राजगढ, बहरोड, डीग, बून्दी, हनुमानगढ़, बिलाडा, प्रतापगढ़ का पद नवसृजित/पदरिक्त होने के कारण इनकी समीक्षा नहीं की गई है।

पुराने लम्बित वादों के निस्तारण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जाकर, वर्ष 2005 से पूर्व के लम्बित वादों को प्राथमिकता से निपटाने की कार्यवाही की जाए।

ग्रेड "सी" के अधिकारियों से अपेक्षा है कि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की ओर विशेष ध्यान दिया जाकर निस्तारण मापदण्ड के अनुरूप किया जावें तथा कम निस्तारण के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

(श्री हरिशंकर गोयल)
सदस्य
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालयों द्वारा अवधि 01.04.2019 से 31.03.2020 में निस्तारित किये गये राजस्व–प्रकरणों पर मण्डल की वार्षिक समीक्षा।

अति. जिला कलेक्टर न्यायालयों द्वारा अवधि 01.4.2019 से 31.3.2020 में किये गये राजस्व–प्रकरणों के निस्तारण कार्य पर मण्डल की समीक्षा निम्नानुसार है। मण्डल के परिपत्र क्रमांक : प.12 (18) राम/निरी /78/975 दिनांक 03.04.2012 एवं मण्डल के पत्र क्रमांक 8260 दिनांक 18.12.2018 के संशोधन पश्चात परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन (Grading) किया गया हैं–

निर्धारित मापदण्डः– प्रतिमाह 80 अपील/निगरानी/स्टाम्प/सीलिंग आदि
वार्षिक 960 अपील/निगरानी/स्टाम्प/सीलिंग आदि

ग्रेडिंग का आधारः

1	मापदण्ड का 100 प्रतिशत निस्तारण या अधिक।	ए+
2	मापदण्ड का 90 प्रतिशत निस्तारण से 100 तक।	ए
3	मापदण्ड का 80 प्रतिशत से 90 निस्तारण तक।	बी+
4	मापदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से 80 तक।	बी
5	मापदण्ड का 60 प्रतिशत निस्तारण से कम होने पर।	सी

संभाग– अजमेर

क्र. सं.	नाम अति0 जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अति0 जिला कलेक्टर, अजमेर	A
2	अति0 जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा	A+
3	अति0 जिला कलेक्टर, डीडवाना (नागौर)	C
4	अति0 जिला कलेक्टर, नागौर	C
5	अति0 जिला कलेक्टर, टोंक	C

संभाग– भरतपुर

क्र. सं.	नाम अति0 जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अति0 जिला कलेक्टर, भरतपुर	C
2	अति0 जिला कलेक्टर, डीग (भरतपुर)	C
3	अति0 जिला कलेक्टर, धौलपुर	C
4	अति0 जिला कलेक्टर, करौली	C
5	अति0 जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर	B
6	अति0 जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी	C

संभाग– बीकानेर

क्र. सं.	नाम अति0 जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अति0 जिला कलेक्टर, बीकानेर	A+
2	अति0 जिला कलेक्टर, चुरू	B
3	अति0 जिला कलेक्टर, गंगानगर (प्र0)	A+
4	अति0 जिला कलेक्टर, गंगानगर (सतर्कता)	A+
5	अति0 जिला कलेक्टर, सूरतगढ़ (गंगानगर)	C
6	अति0 जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़	C
7	अति0 जिला कलेक्टर, नोहर	C

संभाग– जयपुर

क्र. सं.	नाम अति0 जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अति0 जिला कलेक्टर, अलवर (प्रथम)	B
2	अति0 जिला कलेक्टर, अलवर (द्वितीय)	C
3	अति0 जिला कलेक्टर, दौसा	A+
4	अति0 जिला कलेक्टर, जयपुर (प्रथम)	C
5	अति0 जिला कलेक्टर, जयपुर (द्वितीय)	C
6	अति0 जिला कलेक्टर, जयपुर (तृतीय)	A+
7	अति0 जिला कलेक्टर, जयपुर (चतुर्थ)	A+
8	अति0 जिला कलेक्टर, कोटपूतली	C
9	अति0 जिला कलेक्टर, झुंझुनूं	A+
10	अति0 जिला कलेक्टर, सीकर	B

संभाग– जोधपुर

क्र.सं.	नाम अति0 जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अति0 जिला कलेक्टर, बाड़मेर	C
2	अति0 जिला कलेक्टर, जैसलमेर	C
3	अति0 जिला कलेक्टर, जालौर	C
4	अति0 जिला कलेक्टर, जोधपुर (प्रथम)	C
5	अति0 जिला कलेक्टर, जोधपुर (द्वितीय)	C
6	अति0 जिला कलेक्टर, जोधपुर (तृतीय)	C
7	अति0 जिला कलेक्टर, पाली	A+
8	अति0 जिला कलेक्टर, सिरोही	A

संभाग– कोटा

क्र. सं.	नाम अति0 जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अति0 जिला कलेक्टर, बारां	B
2	अति0 जिला कलेक्टर, शाहबाद (बारां)	B+
3	अति0 जिला कलेक्टर, बून्दी	C
4	अति0 जिला कलेक्टर, झालावाड़	A+
5	अति0 जिला कलेक्टर, कोटा	C

संभाग– उदयपुर

क्र. सं.	नाम अति0 जिला– कलेक्टर	ग्रेडिंग
1	अति0 जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा	A+
2	अति0 जिला कलेक्टर, चित्तौडगढ़	C
3	अति0 जिला कलेक्टर, डूंगरपुर	B+
4	अति0 जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़	A+
5	अति0 जिला कलेक्टर, राजसमन्द	A
6	अति0 जिला कलेक्टर, उदयपुर	C

(श्री हरिशंकर गोयल)
सदस्य
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

पत्रिका विवरण

1.	नाम	–	रविरा त्रैमासिक अंक – 121
2.	आकार	–	रविरा 6.5" X 9.5"
3.	मुद्रित प्रतियाँ	–	7600
4.	प्रयुक्त कागज	–	(क) कवर कार्डशीट्स 300 जी.एस.एम. (ख) रंगीन पृष्ठ 110 जी.एस.एम. (ग) साधारण कागज (मेपलिथो) 80 से 90 जी.एस.एम.
5.	प्रकाशक	–	राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
6.	मुद्रक	–	राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर
7.	कवर पेज	–	04 पृष्ठ
8.	रंगीन पृष्ठ	–	40 पृष्ठ
9.	साधारण पृष्ठ	–	50 पृष्ठ

राज्य के राजस्व अपील प्राधिकारियों तथा भू प्रबन्ध अधिकारियों एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारियों द्वारा अवधि 01.04.2019 से 31.03.2020 (वार्षिक) में निस्तारित राजस्व प्रकरणों पर मण्डल की समीक्षा।

वार्षिक अवधि 01.04.2019 से 31.03.2020 में राज्य के राजस्व अपील प्राधिकारियों तथा भू प्रबन्ध अधिकारियों एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारियों के द्वारा राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के कार्य की निम्नांकित मापदण्डों को दृष्टिगत रखते समीक्षा की गयी। समीक्षा उपरान्त मूल्यांकन की स्थिति(ग्रेडिंग) को भी नीचे दर्शाया गया है।

मापदण्डः— न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रकरणों के आधार परः—

1— राजस्व अपील प्राधिकारीः—

1000 या अधिक लम्बित
राजस्व मुकदमों पर — 80 बहुपक्षीय प्रतिमाह
500 से 999 लम्बित
राजस्व मुकदमो पर — 60 बहुपक्षीय प्रतिमाह
500 से कम लम्बित
राजस्व मुकदमो पर — 40 बहुपक्षीय प्रतिमाह
(5 एकपक्षीय को एक बहुपक्षीय के बराबर माना गया हैं)

2— भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारीः—

(क)1000 या अधिक लम्बित — 50 मामले बहुपक्षीय
राजस्व मुकदमों पर — 30 मामले एकपक्षीय प्रतिमाह
(ख)500 से 1000 लम्बित — 30 मामले बहुपक्षीय
राजस्व मुकदमो पर — 15 मामले एकपक्षीय प्रतिमाह
(ग)500 से कम लम्बित — 20 मामले बहुपक्षीय
राजस्व मुकदमो पर — 10 मामले एकपक्षीय प्रतिमाह
(5 एकपक्षीय को एक बहुपक्षीय के बराबर माना गया हैं)

समीक्षा उपरान्त मूल्यांकनः—

(अ) मानदण्ड का 100% से अधिक—उत्कृष्ट—'ए'

1— राजस्व अपील प्राधिकारी — अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, कोटा।
2— भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी — सीकर।

(ब)मानदण्ड का 90% से 100% तक –'बहुत अच्छा'–'बी'

1– राजस्व अपील प्राधिकारीः– – श्रीगंगानगर।
2– भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन – शून्य।
राजस्व अपील प्राधिकारी

(स)मानदण्ड का 80% से 90% तक –'अच्छा'–'सी'

1– राजस्व अपील प्राधिकारीः– – अलवर।
2– भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन – बीकानेर।
राजस्व अपील प्राधिकारी

(द)मानदण्ड का 70% से 80% तक –'औसत'–'डी'

1– राजस्व अपील प्राधिकारीः– – शून्य।
2– भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन – भीलवाड़ा।
राजस्व अपील प्राधिकारी

(य)मानदण्ड का 70% से नीचे –'औसत से नीचे'–'ई'

1– राजस्व अपील प्राधिकारी – बाड़मेर, जोधपुर,, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर।
2– भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन – अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, टोंक, उदयपुर।
राजस्व अपील प्राधिकारी

ग्रेड "ई" के अधिकारियों से अपेक्षा है कि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की ओर विशेष ध्यान दिया जाकर निस्तारण मापदण्ड के अनुरूप किया जावें तथा कम निस्तारण के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

(श्री हरिशंकर गोयल)
सदस्य
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

कमांक प.9(20)राज–6/2017/138

जयपुर, दिनांक 25/11/2019

परिपत्र

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी)नियम 1955 के नियम 7 के तहत चरागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन कर कृषि एवं गैर कृषि प्रयोजन के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध करवाया जा सकता है। इस नियम के तहत 4 हैक्टर तक भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन करने हेतु जिला कलक्टर सक्षम हैं एवं 4 हैक्टर से अधिक भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन करने के लिए जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना प्रावधित है।

विभिन्न प्रकरणों में जिला कलक्टर द्वारा किसी राजस्व गांव में कुल 4 हैक्टर भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन करने उपरांत अन्य प्रकरणों में 4 हैक्टर से अधिक भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन की अनुमति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जा रहे हैं। इस संबंध में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 21.02.2006 तथा दिनांक 26.03.2007 को अतिक्रमित करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी)नियम 1955 के नियम 7 के अन्तर्गत जिला कलक्टर को 4 हैक्टर की सीमा तक चरागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन करने की शक्ति प्रत्येक प्रकरण/मामले के संबंध में है व यह सीमा प्रत्येक ग्राम हेतु नहीं है। जिला कलक्टर प्रत्येक प्रकरण/मामले में 4 हैक्टर तक की भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन करने हेतु इस नियम के अंतर्गत सशक्त है।

आज्ञा से
(कमलेश आबुसरिया)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

कमांक प.11(1)राज–6 / 2004 / 133

जयपुर, दिनांक 25 / 11 / 2019

आदेश

विषय :– औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन बाबत।

धारा 92, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 निम्नानुसार है :–

92. "राज्य सरकार के सामान्य आदेश के अधीन कलक्टर किसी विशेष प्रयोजन के लिए, जैसे– पशुओं के निःशुल्क चरागाह के लिए वन आरक्षण हेतु आबादी के विकास हेतु या अन्य किसी सार्वजनिक या नगरपालिका प्रयोजन के लिए भूमि अलग रख सकेगा और ऐसी भूमि ऐसे प्रयोजनों के अतिरिक्त बिना कलक्टर की पूर्व अनुमति के अन्य प्रयोग में नहीं ली जावेगी।"

इस प्रावधान के तहत राज्य सरकार के सामान्य आदेशों के अधीन जिला कलक्टर किसी भी विशेष प्रयोजन हेतु भूमि को अलग (सेट अपार्ट) रख सकते हैं। धारा 92 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस संबंध में पूर्व मे जारी किए गए समस्त आदेशों के अतिक्रमण में यह आदेश देती है कि औद्यौगिक प्रयोजनार्थ भूमि अलग रखने (सेट अपार्ट करने) से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त की जाए।

समस्त जिला कलक्टर इस आदेश की पालना करें।

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
सांख्यिकी विभाग

कमांक एफ 5(64)/सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट–1/1662

दिनांक 10/08/2020

परिपत्र

जनगणना 2021 के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमा स्थिरीकरण (FIXING OF BOUNDARIES) के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र कमांक एफ 5(64)सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट–1/1169 दिनांक 15.10.2019 के द्वारा निर्णय लिया गया था कि राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सीमाओं में 31 दिसम्बर 2019 के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावे, जब तक कि 2021 की जनगणना का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता।

कोविड–19 महामारी के प्रकोप के बाद भारत सरकार के निर्देशानुसार जनगणना–2021 के प्रथम चरण के क्षेत्र कार्य और अन्य संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित करने तथा मौजूदा स्थितियों के मध्यनजर राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि जनगणना–2021 के लिये राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सीमाओं में 31 दिसम्बर 2020 के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावे, जब तक कि 2021 की जनगणना का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता।

इसे आवश्यक समझा जावे।

(राजीव स्वरूप)
मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्मांक प.9(6)राज–6/2000/पार्ट/139

जयपुर, दिनांक 28/11/2019

आदेश

राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि कई ग्रामों में आबादी भूमि राज्य सरकार में निहित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि का विकास व रख–रखाव ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। अतः राज्य सरकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102क में दिए गये अधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसी समस्त भूमियां, जो आबादी भूमि के रूप में दर्ज हैं, जिन पर मौके पर आबादी बसी हुई है व राज्य सरकार में निहित है अथवा जमाबंदी की खाता संख्या 1 में दर्ज है या बिलानाम है, संबंधित आबादी प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत के अधीन किए जाने का आदेश देती है।

समस्त जिला कलक्टर इन आदेशों की पालना में संबंधित तहसीलदारों द्वारा ऐसी भूमियों का कब्जा संबंधित ग्राम पंचायत को संभलवाकर नामान्तकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कमलेश आबुसरिया)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

कमांक प.9(49)राज–6/19/152

जयपुर, दिनांक 23/12/2019

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

परिपत्र

चरागाह भूमि पर पूर्व में दिए खनन पटटे पर खनन हेतु भूमि के वर्गीकरण परिवर्तन की प्रक्रिया राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 के तहत निर्धारित है। जिसके अनुसार खनन पट्टाधारक को चरागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु खातेदारी भूमि समर्पित करने व विकास शुल्क जमा कराने का प्रावधान है।

किन्तु चरागाह भूमि पर नवीन खनन पटटे हेतु अनापत्ति दिए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प.3(4)राज–6/2008/11 दिनांक 21.07.2008 द्वारा चरागाह भूमि पर खनन पट्टों की स्वीकृति से पूर्व जिला कलक्टर/शासन से अनापत्ति प्राप्त किए जाने के निर्देश हैं। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अनापत्ति इस शर्त पर प्रदान की जाए कि खनन पट्टाधारक राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 की पालना करने हेतु बाध्य होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करावें।

(संजय मल्होत्रा)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प.9(33)राज–1/2019

जयपुर, दिनांक 22/10/2019

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या–15, सन 1956) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसील/उपतहसील की पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा तहसील वैर जिला भरतपुर का पुनर्गठन कर ग्राम पंचायत हलैना को **उप तहसील हलैना** तहसील वैर जिला भरतपुर में क्रमोन्नत करती है।

नव सृजित **उप तहसील हलैना** के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत एवं पटवार मंडल सम्मिलित होंगे :–

क्र.सं.	नाम भू.अ.नि.वृत	भू.अ.नि.वृत का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	नाम पटवार मंडल	पटवार मंडल का कुल क्षेत्रफल
1	हलैना	4012.54	हलैना	962.26
			पाली	780.69
			खेरली गूजर	916.31
			मूडिया ललिता	1353.28
			कुल क्षेत्रफल	4012.54
2	सरसैना	3644.88	सरसैना	1024.66
			भूतौली	784.54
			जहानपुर	756.83
			मौलोनी	1078.85
			कुल क्षेत्रफल	3644.88
3	गांगरौली	3817.55	गांगरौली	843.09
			रहीमगढ़	623.64
			आमोली	1046.28
			सिरस	1304.54
			कुल क्षेत्रफल	3817.55

तहसील वैर से उप तहसील हलैना के सृजन के उपरांत मूल तहसील वैर (भरतपुर) के भू–अभिलेख निरीक्षक वृतों एवं पटवार मंडलों का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा :–

क्र.सं.	नाम भू.अ.नि.वृत	भू.अ.नि.वृत का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	नाम पटवार मंडल	पटवार मंडल का कुल क्षेत्रफल
1	कस्बा वैर	4261.63	कस्बा वैर 1	1002.06
			कस्बा वैर 2	641.73
			गोविन्दपुरा	1177.88
			बझेरा कला	1439.96
			कुल क्षेत्रफल	4261.63
2	समराया	6486.37	समराया	979.28
			उमरैड	1547.24
			सुहांस	964.45
			लखनपुर	2995.40
			कुल क्षेत्रफल	6486.37
3	जगजीवनपुर	6544.81	जगजीवनपुर	1437.97
			जहाज	3060.45
			हाथौड़ी	2046.39
			कुल क्षेत्रफल	6544.81
4	धरसौनी	4643.62	धरसौनी	919.42
			हतीजर	959.85
			चकधरसौनी	1587.15
			जीवद	1177.20
			कुल क्षेत्रफल	4643.62

आज्ञा से,
(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प.9(34)राज–1/2019

जयपुर, दिनांक 22/10/2019

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या–15, सन 1956) की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसील/उप तहसील की पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद्द्वारा तहसील दौसा जिला दौसा का पुर्नगठन कर नव सृजित **उप तहसील भाण्डारेज** तहसील (जिला दौसा) का सृजन करती है।

नव सृजित **उप तहसील भाण्डारेज** के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू–अभिलेख निरीक्षक वृत एवं पटवार मंडल सम्मिलित होंगे :–

क्र.सं.	नाम भू.अ.नि. वृत	भू.अ.नि.वृत का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	नाम पटवार मंडल	पटवार मंडल का कुल क्षेत्रफल
1	भाण्डारेज	5462	1 भाण्डारेज ए	3732
			2 भाण्डारेज बी	
			3 भाण्डारेज सी	
			4 नांगल चापा	1730
2	सूरजपुरा	4152	5 सूरजपुरा	1965
			6 रलावता	1201
			7 गांगल्यावास	986
3	कालाखो	5136	8 कालाखो	1378
			9 गोठडा	2221
			10 बाणे का बरखेडा	1537
कुल योग	3	14750	10	14750

तहसील दौसा से उप तहसील भाण्डारेज के सृजन के उपरांत मूल तहसील दौसा (दौसा) के भू–अभिलेख निरीक्षक वृतों एवं पटवार मंडलों का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगाः

क्र. सं.	नाम भू.अ.नि. वृत	भू.अ.नि.वृत का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	नाम पटवार मंडल	पटवार मंडल का कुल क्षेत्रफल
1	दौसा	5697	1 दौसा कला	2762
			2 दौसा खुर्द	962
			3 जीरोता खुर्द	795
			4 भण्डाना	1178
2	नांगल बैरसी	5721	5 नांगल बैरसी	754
			6 खैरवाल	1557
			7 चावण्डेडा	1417
			8 वांदराना	1993
3	भांकरी	3203	9 भांकरी	1556
			10 जौपाडा	891
			11 पालावास	756
4	जसोता	6281	12 जसोता	1182
			13 महेश्वरा कला	1437
			14 महेश्वरा खुर्द	1390
			15 खुरी कला	1231
			16 खुरी खुर्द	1041
5	सैंथल (उपतहसील सैंथल)	6331	17 सैंथल	1293
			18 तीतरवाडा कलां	1965
			19 काबलेश्वर	1198
			20 बिशनपुरा	1875
6	कुण्डल (उपतहसील सैंथल)	7377	21 कुण्डल	1637
			22 सिण्डोली	1148
			23 बडोली	1156
			24 कालोता	1559
			25 काली पहाड़ी	1877
7	बापी (उप तहसील सैंथल)	3044	26 बापी	1302
			27 बोरोदा	1130
			28 बीनावाला	612
कुल	7	37654	28	37654

आज्ञा से,
(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

Government of Rajasthan
Revenue (Group-6) Department

No. F.6(34)Rev-6/14/149

Jaipur, Dated 17-12-19

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (xi-A) of the sub-section (2) of section 261 read with section 90- A of the Rajasthan Land Revenue Act,1956 (Act No. 15 of 1956), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non – agricultural purposes in rural areas) Rules, 2007, namely :-

1. Short title and commencement,- (1) These rules may be called the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non – agricultural purposes in rural areas (Third Amendment) Rules, 2019.
(2) They shall come into force at once.

2. Amendment of rule 8.- In the rule 8 of the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural areas) Rules, 2007, after the existing sub-rule (4) and before the existing sub-rule (5),
the following new sub-rule (4-A) shall be inserted, namely:-

"(4-A) No conversion charges shall be payable in case of conversion of land for establishment of eligible unit as approved by the appropriate authority under the provisions of the Rajasthan investment Promotion Scheme – 2019."

By order of the Governor,
(Kamlesh Abusaria)
Deputy Secretary to the Government

Government of Rajasthan

Revenue (Group-6) Department

No. 6(54)Rev-6/2001/Pt/108

Jaipur, Dated 25-09-19

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 100 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Industrial Areas Allotement Rules, 1959, namely :-

1. Short title and commencement,- (1) These rules may be called the Rajasthan Industrial Areas Allotement (Third Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force at once.

2. Amendment of rule 9.- In rule 9 of the Rajasthan Industrial Areas Allotement Rules, 1959, after the existing proviso (iii) and before the existing proviso (iv), the following new proviso (iiia) shall be inserted, namely :-

"(iiia) Provided also that if any industrial plot is divided or sub-divided without obtaining prior permission of the State Government, the lessee shall apply for permission of division or sub-division to the allotting authority along with a copy of the challan depositing an amount of the Rs.3000/-. The allotting authority, with prior approval of the State Government, may regularize the division or sub-division."

By order of the Governor,
(Kamlesh Abusaria)
Deputy Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

कमांक प.6(2)राज–6/2001 पार्ट/105

जयपुर, दिनांक 19/9/19

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

परिपत्र

विषयः– राजस्थान भू–राजस्व (नवीनीकरण ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित ऊर्जा उत्पादन इकाई कीस्थापना हेतु भूमि आवंटन) नियम 2007 के प्रावधानों के तहत आवंटित भूमि का पट्टेदार द्वारा समयावधि मे उपयोग नहीं किये जाने पर आवंटन निरस्त करने के संबंध में।

राजस्थान भू–राजस्व (नवीनीकरण ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु भूमि आवंटन) नियम 2007 के तहत आवंटित भूमि पर नवीनीकरणीय ऊर्जा शक्ति संयंत्र स्थापित करने की समयावधि नियम 7 में निर्धारित की हुई है। ऐसी निर्धारित अवधि को राज्य सरकार द्वारा उक्त नियम के तहत बढाए जाने का प्रावधान किया हुआ है। यदि पट्टेदार द्वारा उक्त निर्धारित समयावधि अथवा बढ़ाई गई अवधि में भूमि पर संयंत्र स्थापित करने में विफल रहता है तो इस सबंध में नियम 7 के उपनियम (2) में प्रावधान है कि :–

“यदि भूमि का उपयोग अनुज्ञात अवधि या उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए गए समय के भीतर नहीं किया जाता है तो भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त राज्य सरकार को प्रतिवर्तित हो जाएगी।”

नियम 2007 में पट्टेदार द्वारा समयावधि में भूमि का उपयोग नहीं करने पर भूमि राज्य सरकार को प्रतिवर्तित होने का स्पष्ट प्रावधान होने पर भी भूमि आवंटन निरस्त करने की स्वीकृति प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किए जाते हैं, जो उचित नही हैं।

अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि पट्टेदार द्वारा भूमि का उपयोग अनुज्ञात अवधि में नही किया गया है, उपरोक्त प्रावधानानुसार भूमि राज्य सरकार में प्रतिवर्तित हो जाएगी अर्थात स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। आवंटित भूमि का कब्जा अनुज्ञात अवधि समाप्त होने के तुरन्त पश्चात ले लिया जाना चाहिए। यदि भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है तो कब्जा ले लिया जाए व भू–अभिलेख में आवश्यक अंकन कर दिया जाए। भूमि आवंटन निरस्त करने हेतु राजकीय स्वीकृति की आवश्यकता नही है। आप

स्वयं तहसीलदार को उपरोक्तानुसार आदेश दे सकते हैं। आदेश में आवंटन स्वतः निरस्त होने व आवंटित भूमि राज्य सरकार को प्रतिवर्तित होने का उल्लेख कर सकते हैं।

यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि उक्त कार्यवाही किए जाने से पूर्व पट्टेदार को इस संबंध में सूचित किया जाए। यदि भूमि के उपयोग की अवधि विस्तार के लिए पट्टेदार द्वारा आवेदन किया है तो किसी भी स्तर पर अवधि विस्तार के संबंध में प्रकरण विचाराधीन तो नहीं है, इसकी सुनिश्चितता के उपरान्त ही कार्यवाही की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवंटी द्वारा भूमि उपयोग हेतु अनुज्ञात अवधि तक लीज राशि का भुगतान राज्य सरकार को कर दिया गया है। यदि कोई राशि आवंटी से ली जानी शेष हो तो उसकी वसूली हेतु पृथक से कार्यवाही की जाए।

इस प्रकार की कार्यवाही इन नियमों के तहत आवंटित समस्त भूमियों हेतु अमल में लाई जाए।

भवदीय
(संजय मल्होत्रा)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प.3(2)राज–6/2007/ पार्ट/101

जयपुर, दिनांक 18/9/19

1. समस्त संभागीय आयुक्त।
2. समस्त जिला कलक्टर
   राजस्थान।

परिपत्र

इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3 (2)राज–6/2007/ पार्ट/5 दिनांक 12/9/2018 के पैरा 3 के विद्यमान बिन्दु संख्या 2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 निम्न प्रकार से है:–

"जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार :– जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार का इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त हैं और दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।"

इस प्रावधान के अनुसार काश्तकारों को जागीर भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हैं। कई मन्दिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गई थी। इस अधिनियम के प्रभावी होने पर जागीरों के पुनर्ग्रहण के साथ–साथ इस प्रावधान के अनुरूप काश्तकारों को मन्दिर माफी की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते हैं व इन प्रावधानों की पालना में ऐसे काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिए गये हैं, इसके बावजूद कुछ प्रकरणों में ऐसी भूमियों पर भी राजस्व मंडल में रेफरेंस दायर किए गये अथवा खातेदारी भूमि सिवायचक घोषित कर दी गई। यह उचित नहीं है। जैसा कि पूर्व में निर्देशित किया गया, इस प्रकार की भूमि पर दायर निगरानी वापस ली जाए व यदि बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाए इस प्रकार की भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई है, तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर कर रेकोर्ड दुरुस्ती की कार्यवाही की जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 के तहत किसी मन्दिर की खुदकाश्त भूमि पर पुजारी को खातेदारी अधिकार नहीं दिया जा सकता है।

भवदीय
(कमलेश आबूसरिया)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

कमांक प.9(25)राज–6/2014/126

जयपुर, दिनांक 31/10/19

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

परिपत्र

विषय :– ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकारी को भूमि हस्तान्तरण करने के संबंध में।

विभाग के परिपत्र कमांक 6(42)राज/ख/58/ग्रुप–1 दिनांक 20.4.1961द्वारा आबादी विस्तार हेतु भूमि ग्राम पंचायत को देय लगान का 20 गुणा राशि के बराबर पूंजीगत मूल्य लिया जाकर आबादी विकास हेतु दिये जाने के निर्देश दिये गए थे। इसके पश्चात विभाग के परिपत्र कमांक प.6(17) राज/4/88/10 दिनांक 3.12.1988 द्वारा उक्त जारी परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए ग्राम को आबादी विस्तार हेतु दी जाने वाली भूमि के संबंध में देय लगान 20 गुणा राशि के बराबर पूंजीगत मूल्य के संदाय से मुक्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त भी समय–समय पर आबादी विस्तार एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जैसे कि श्मशान, कब्रिस्तान आदि हेतु भूमि दिये जाने के निर्देश दिये जाते रहे हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत भूमि अलग रखे जाने से ही स्थानीय प्राधिकारियों को भूमि पर अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं। ऐसी भूमियों पर स्थानीय निकायों को अधिकार राज्य सरकार द्वारा संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के अधीन रखने पर ही प्राप्त हो सकते हैं।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 92 के तहत आबादी विस्तार एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अलग रखी गई भूमि का उपयोग ग्राम पंचायतों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जब तक नही किया जा सकता है जब तक कि राज्य सरकार द्वारा धारा 102क के तहत ऐसी भूमियों को उनके अधीन किए जाने के आदेश नहीं दिए जाते हैं। अतः ऐसी अलग रखी गई भूमियों का आवंटन संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों को किए जाने के प्रस्ताव धारा 102क के तहत राज्य सरकार को प्रेषित किये जाएं। धारा 102क के तहत भूमि आवंटन के पश्चात ही भूमि का नामान्तरकरण नियमानुसार भरा जाए व नामान्तरकरण स्वीकृति उपरान्त जमाबंदी में भूमि स्थानीय प्राधिकारी के नाम दर्ज की जाए।

भवदीय
(कमलेश आबूसरिया)
उप शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (GROUP-6) DEPARTMENT

No. F.6(26)Revenue-6/14/70

Jaipur, Dated 09-09-2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (xi- A) of the sub-section (2) of section 261 read with section 90- A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non – agricultural purposes in rural areas) Rules, 2007, namely :-

1. Short title and commencement,- (1) These rules may be called the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non – agricultural purposes in rural areas (Third Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force at once.

2. Substitution of rule 6A.-The existing rule 6A of the Rajasthan Land Revenue(Conversion of Agricultural land for non- agricultural purposes in rural areas) Rules, 2007, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"6A. Use of khatedari land for Food Processing Unit. - (1) Notwithstanding anything contained in these rules but subject to the provision of rule 4 of these rules, no permission for conversion shall be required where a khatedar tenant desires to use of land for the purpose of establishment of food processing unit on his own khatedari land upto an area not exceeding ten hectares.

(2) The khatedar tenant or in case of co-tenancy all co-tenant, as the case may be, shall inform in Form-H to the Tehsildar within 30 days from the date of use of land for food processing unit.

(3) (a) The Tehsildar, within 30 days from receipt of the information in Form-H, shall issue a certificate in Form-I after satisfying himself that,-

(i) the information given in Form-H is complete;
(ii) the undertaking is in order; and

(iii) the applicant is the khatedar of the land.

(b) In case, if land so used is part of khasra number, a separate khasra number shall be given to it and recorded along with its area in the Jamabandi and it is properly demarcated in the village map through a mutation.

(c) If the Tehsildar is not satisfied as above, he shall, within 30 days of the receipt of the information, after giving an opportunity of being heard to the applicant, issue a speaking order refusing to issue the certificate.

(4) If Tehsildar, at any time, finds that such land is being used for any other purpose in contravention of any provisions of these rules, shall issue a notice to the khatedar and direct him to use the land as per the provisions of this rule within such period as specified in the notice and such notice may also required to remove any structure, to fill up any excavation or to take such other steps as may be required for the use of the land for the purpose of Food Processing unit.

(5) If any khatedar fails to comply with the directions within the period specified in the notice, the Tehsildar may impose a penalty on such khatedar, not exceeding five thousand rupees and for each day of default not exceeding one hundred rupees after the expiry of the notice period during which the contravention continues. In addition to above the Tehsildar may take or cause to be taken such steps as may be necessary to get the land restored to its original use and to remove all structures and installations from the land and recover the expanses from the khatedar.

(6) Notwithstanding anything contained in rule 11, any land for which a certificate in Form-I has been issued under this rule may be transferred to another person: Provided that no land belonging to member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe shall be transferred to a person who is not a member of the Scheduled Caste or Scheduled Tribe respectively."

3. Addition of new FORM-H and FORM –I.- After the existing FORM-G appended to the said rules, the following new FORM –H and FORM- I shall be added, namely:-

“FORM-H

[see rule 6A]

INFORMATION REGARDING CONVERSION OF AGRICULTURAL
LAND FOR FOOD PROCESSING UNIT

To

The Tehsildar

………………………

………………………

Sir,

I/We herby apply under the Rajasthan Land Revenue (Coversion of agricultural land for non- agricultural purposes in rural areas) Rules, 2007 for information regarding the use of land for the purpose of food processing unit, the particulars whereof are given hereunder:

1. Name/Names of khatedar:
2. Aadhar number:
3. Bhamashah number:
4. Father’s/husband’s name:
5. Address with mobile number:
6. E-mail ID (if any):
7. Whether the applicant is a member of SC / ST (SC/ST/ No):
8. Details of the land sought to be converted/ reconverted:
   (a) Name of the District:
   (b) Name of the Tehsil:
   (c) Name of the Village:
   (d) Khasra No./Nos. of the land along with area of each khasra No.
9. If the land has already been put to non-agricultural use, the date on which it was converted/used for the non-agricultural purpose:
10. Any other relevant information:
11. I/We hereby certify that,-
   (i) the above particulars are correct according to my/our knowledge and belief;
   (ii) the land is not prohibited for conversion under rule 4;
   (iii) I/We am/are khatedar of the land, as recorded in the Jamabandi; and

(iv) There is no judicial proceedings pending in any revenue or civil court with respect to the land applied for conversion.

Yours faithfully,
Signature/s of applicant

Place:

Dated:

Enclosures:

(a) proof of payment of premium

(b) Undertaking in prescribed format on Rs. 500/- stamp paper

(c) Copy of latest Jamabandi and revenue map demarcating proposed area.

Acknowledgement

Name of applicant:………………………

Receipt No: ……………………………......

Date : …………………………………...

Khasra number ……………….. in village
…………….Tehsil……………………

UNDERTAKING/INDENMITY SUBMITTED FOR CONVERSION OF AGRICULTURAL LAND FOR FOOD PROCESSING UNIT PURPOSE

I/We have applied / informed under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non- agricultural purposes in rural areas) Rules, 2007 for the use of land held in my / our tenancy for non- agricultural purpose, the particulars whereof are given here/under:

1. Name/Names of Khatedar
2. Aadhar number
3. Bhamashah number
4. Father's/ husband's name
5. Address with mobile number
6. Email id (if any)
7. Whether the applicant is a member of SC/ ST (SC/ST/No):
8. Details of the land sought to be converted :
   (a) Name of the district
   (b) Name of the tehsil
   (c) Name of the village
   (d) Khasra number/ Nos. of the land along with area of each khasra no.

9 I/ We hereby undertake that on conversion of the land :

(i) I/We will satisfy all conditions of the conversion;

(ii) I/We shall plant three trees for each tree removal which may be necessary on conversion of the land;

(iii) I/We will pay all the dues and amount as per prevalent laws and rules to the State Government and the local authority;

(iv) I/ We indemnify the Government and local authority for loss caused to a third person, if any, due to the conversion; and

(v)I/We will comply with all the provisions of all laws for the time being in force and all orders or directions of the Central Government or State Government or any Corporation owned or controlled by such Government, Government Company, local authority in relation to use of land for a non-agricultural purpose under these rules before the land is put to use for such purpose and continue to do so at all times.

Place: Signature/s of Applicant

Date:

FORM-I

[See rule 6A]

Office of the Tehsildar,………..

No. Dated:

CERTIFICATE

On the application of Shri ……….................................……………………………........…………
……
…………...…………………………...........……………....……………………………………

(Name and Address), agricultural land, the particulars of which are given as under is hereby certified to be converted for the purpose of food processing unit under rule 6A of the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non- agricultural in rural areas) Rules, 2007:

1.Name/Names of Khatedar:

2.Aadhar number:

3.Bhamashah number:

4.Father's/ husband's name:

5.Address with mobile number:

6.Email id (if any):

7.Whether the applicant is a member of SC/ ST (SC/ST/No):

8.Details of the land sought to be converted :

(a) Name of the district: (b) Name of the tehsil:

(c) Name of the village: (d) Khasra number/ Nos. of the land along with area of each khasra no.

9.Other particulars, if any:

10.This certificate shall be subject to the following conditions:-

(i)The applicant(s) shall plant three trees for each tree, removal which may be necessary on conversion of the land;

(ii)The tenancy rights stand extinguished for using the said lands;

(iii)The applicant(s) will comply with all the provisions of all laws for the time being in force and all orders or directions of the Central Government or State Government or any Corporation owned or controlled by such Government, Government Company, local authority in relation to use of land for a non-agricultural purpose under these rules before the land is put to use for such purpose and continue to do so at all times; and

(iv)On it being discovered that the permission has been given in violation of any provision of law on account of submission of any false information or misinformation or representation or suppression of any material information, the permission shall be liable to be revoked.

Signature of the Tehsildar with seal

No. Date:

Copy to:

1.Gram Panchayat………………….

2.The applicant Shri………………..

Signature of the Tehsildar with seal

By order of the Governor,

(Kamlesh Abusaria)

Deputy Secretary to the Government.

राजस्व समाचार

राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण के लिए होंगे प्रभावी प्रयास – डॉ. वेंकटेश्वरन

अजमेर। राजस्व मंडल अध्यक्ष डॉ. आर. वेंकटेश्वरन ने कहा कि राजस्व मंडल में लंबित राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

श्री वेंकटेश्वरन ने राजस्व मंडल अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के पश्चात राजस्व मंडल की विविध गतिविधियों की समीक्षा करते हुए यह बात कही। उन्होंने कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाते हुए नवीन दर्ज होने वाले प्रकरणों एवं पुराने बकाया प्रकरणों के निस्तारण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने राज्य के सभी राजस्व न्यायालयों में रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शत प्रतिशत उपयोग करने की बात कही। उन्होंने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को महत्वपूर्ण बताते हुए विशेष ध्यान देकर इसे जनहित में प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी जोर दिया। श्री वेंकटेश्वरन ने राजस्व विभागीय दायित्वों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के मद्देनजर निचले स्तर तक निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि कार्मिकों की पदोन्नति या वरिष्ठता सूचियां अथवा जांच जैसे मुद्दों को भी शीघ्रता से निपटाया जाकर कार्मिकों को राहत प्रदान करने की आवश्यकता है। मंडल अध्यक्ष ने राजस्व मंडल की विभिन्न शाखाओं व अनुभागों का अवलोकन कर प्रभारी अधिकारियों से उनकी गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली उन्होंने कोरोना की गंभीरता को देखते हुए सभी कार्मिकों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने विविध पत्रावलियों के वर्गीकरण के साथ ही उनका समयबद्ध निस्तारण करने पर भी जोर दिया। अध्यक्ष ने राजस्व मंडल परिसर में स्वच्छता का बेहतरीन वातावरण बनाने एवं विद्युत बचत के प्रभावी उपाय अपनाने की भी जरूरत बताई।

श्री वेंकटेश्वरन से अजमेर जिला कलेक्टर डॉ. प्रकाश राजपुरोहित, राजस्व मंडल सदस्य श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सुरेंद्र कुमार पुरोहित, मनोज कुमार नाग, राजस्व मंडल रजिस्ट्रार श्रीमती नम्रता वृष्णि, राजस्व अपील अधिकारी श्रीमती मेघना चौधरी आदि ने शिष्टाचार भेंट कर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। अध्यक्ष को अतिरिक्त रजिस्ट्रार आशुतोष गुप्ता, उप रजिस्ट्रार श्रीमती प्रिया भार्गव, श्रीमती बीना महावर, अतिरिक्त निदेशक श्रीमती रेखा शर्मा, वित्तीय सलाहकार सूरज प्रकाश मोंगा, तहसीलदार शंकरलाल, राविरा संपादक पवन शर्मा आदि ने अपने–अपने अनुभाग से संबंधित दायित्वों एवं प्रगति की जानकारी दी।

राजस्व मंडल में काढ़ा वितरण कार्यक्रम

अजमेर। कोरोना काल में आयुर्वेद विभाग की ओर से आयोजित कराये जा रहे काढ़ा वितरण कार्यक्रमों की श्रृंखला में राजस्व मंडल परिसर में काढ़ा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्व मंडल अध्यक्ष डॉ. आर. वेंकटेश्वरन ने काढ़ा वितरण से कार्यक्रम की शुरुआत की।

इस अवसर पर राजस्व बार एसोसिएशन के अभिभाषकगण, राजस्व मंडल अधिकारी एवं कर्मचारियों ने काढ़ा ग्रहण करने में उत्साह दिखाया। काढ़ा वितरण कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद रसायनशाला डॉ. बाबूलाल कुमावत, चिकित्सा अधिकारी डॉ. घनश्याम जोशी, डॉ. सुरेश चौधरी, परिचारक गणेशचंद, आकाश सिंह, कमलेश, लक्ष्मण व महावीर का पूर्ण सहयोग रहा। काढ़ा वितरण कार्यक्रम के दौरान राजस्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार शर्मा, राजस्व मंडल के अतिरिक्त रजिस्ट्रार आशुतोष गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.) वरदराजन, उप रजिस्ट्रार प्रिया भार्गव सहित बड़ी संख्या में अभिभाषक एवं मंडल अधिकारियों व कर्मचारियों ने काढ़े का सेवन किया।

राजस्व मंडल में ध्वजारोहण

अजमेर। 74 वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर राजस्व मंडल परिसर में वरिष्ठ सदस्य श्रीमती विनीता श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण किया । इस अवसर पर उन्होंने सभी मंडल कार्मिकों एवं अधिकारियों को स्वाधीनता पर्व की बधाई दी। ध्वजारोहण के मौके पर सदस्य बीएल, मेहरड़ा, सुरेंद्र पुरोहित, राजस्व बार अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार शर्मा, राजस्व मंडल की उपनिबंधक श्रीमती प्रिया भार्गव, राजस्व अपील अधिकारी श्रीमती मेघना चौधरी, राजस्व मंडल के वित्तीय सलाहकार नरेंद्र माथुर, अतिरिक्त निदेशक आईटी वरदराजन सहित अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे।

कोविड–19 और राजस्व मंडल के ठोस उपाय

राजस्व मंडल अजमेर के लिए भी कोविड–19 प्रबंधन एक बड़ी चुनौती था । राजस्व मंडल प्रशासन की ओर से महत्वपूर्ण दायित्व निर्वहन के लिए हर अनुभाग की महती भूमिका को ध्यान में रखकर अधिकारी, कार्मिक एवम अभिभाषकगण व पक्षकारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के दृष्टिगत ठोस उपाय लागू किए गए।

परिसर का नियमित सैनिटाइजेशन

कोविड–19 से बचाव के उपायों में संपूर्ण राजस्व मंडल में नियमित सैनिटाइजेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। प्रतिदिन मंडल कार्मिकों के माध्यम से राजस्व मंडल में हर कक्ष को स्प्रे कर सेनेटाइज करने का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही समय–समय पर नगर निगम से वाहन बुलाकर समूचे परिसर को स्प्रे कर सैनिटाइज कराया गया। सभी अनुभागों व न्यायालय कक्षों के आगे सैनिटाइजर मशीनें व हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की गई ।

सोशल डिस्टेंसिंग

राजस्व मंडल परिसर में कामकाज को निर्बाध रूप से जारी रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के उपायों को कड़ाई से लागू किया गया। परिसर में एक मुख्य प्रवेश द्वार के अलावा सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए। अधिकारी, अभिभाषकगण तथा आगंतुकों के प्रवेश द्वार पर ही नियमित टेंपरेचर जांच की व्यवस्था की गई व सुरक्षा गार्ड्स के मार्फत अनावश्यक आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया। लॉकडाउन के दौरान उच्च स्तरीय दिशा निर्देशानुसार अलग–अलग दिवसों में कर्मचारियों को बुलाना, वर्क फ्रॉम होम आदि के मापदंड भी अपनाए गए। मंडल में कोरोना से बचाव के लिए अति आवश्यक प्रवृत्ति के मुकदमों की सुनवाई किया जाना भी शामिल है, वहीं प्रकरणों की सुनवाई के लिए वर्चुअल कोर्ट सुविधा को भी अपनाया जा रहा है। सभी अनुभागों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ ही कोविड–19 से बचाव के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।

कोविड–19 स्क्रीनिंग

अनलॉक के पश्चात राजस्व मंडल परिसर में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए समय–समय पर चिकित्सा दलों को बुलाया जाकर समूचे मंडल स्टाफ व अभिभावषों सहित 700 से अधिक जांचें कराई गई। कोरोना केसेज की स्थिति में अभिभाषकों की अनुशंसा पर समय–समय पर कोर्ट कार्य भी स्थगित रखा गया। साथ ही कोर्ट के सुरक्षित संचालन बाबत् माननीय अध्यक्ष ने भी समय–समय पर समीक्षा की।

काढ़ा वितरण

राजस्व मंडल परिसर में कोरोना काल में आमजन में इम्युनिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयुर्वेद विभाग के माध्यम से काढ़ा वितरण कार्यक्रम रखा गया जिसमें समूचे स्टाफ, अभिभाषकगण को काढ़े का सेवन कराया गया।

राजस्व मण्डल में सेवानिवृत्ति कार्यक्रम

माननीय राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी
टिड्डी नियंत्रण गतिविधियों का जायजा लेते हुए

रविरा

राजस्व प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों की त्रैमासिकी

Contact Us:
Website: http//landrevenue.rajasthan.gov.in/bor
Email: bor-rj@nic.in